कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

आषाढ़–श्रावण 2083, अगस्त 2026

बड़ी भारतीय ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनियां

बनाने हेतु प्रधानमंत्री का आह्वान

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी बैठकें

कोयंबटूर स्वदेशी मेला

हुगली, मध्य बंग

मणिपुर

नलबाड़ी, उत्तर असम

रायबरेली

पटना

स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–34, अंक–8
आषाढ़–श्रावण 2083 अगस्त 2026

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–06

बड़ी भारतीय ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनियाँ बनाने हेतु प्रधानमंत्री का आह्वान

डॉ. अश्वनी महाजन

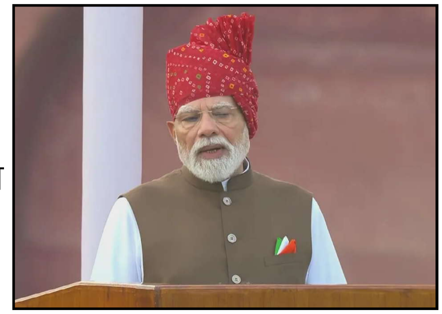

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आजादी के आठ दशक
‘शक्ति की सप्तधारा’: विकसित भारत की विकास–दृष्टि
.... *डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र*

11 आजादी के आठ दशक
उपलब्धियों के आंगन में चुनौतियां भी कम नहीं
.... *अनिल तिवारी*

14 आजादी के आठ दशक
विज्ञान और खोज में भारत की असाधारण यात्रा
.... *डॉ. विजय गर्ग*

16 संघ शताब्दी वर्ष
संघ का लक्ष्यः व्यक्ति निर्माण से परमवैभव तक
.... *डॉ. विजय वशिष्ठ*

19 स्वास्थ्य
दबाव में आई एफ़एसएसएआई : जन स्वास्थ्य की जीत
.... *स्वदेशी संवाद*

23 विवेचन
औद्योगिक क्रांति 5.0: भारत का स्वदेशी मार्ग और चुनौतियां
.... *डॉ. धनपत राम अग्रवाल*

27 विचार
डेटा ड्रेन के युग में दादाभाई नौरोजी के ‘ड्रेन थ्योरी’ की पुनर्रचना
.... *प्रो. दीपक शर्मा*

29 मुद्दा
एथनोल–20 मिश्रित पेट्रोल पर अनावश्यक विवाद
.... *विनोद जौहरी*

31 ऊर्जा
अक्षय ऊर्जा : गाँव और किसान
.... *शिवनंदन लाल*

34 नीति
मक्का संयुक्त रक्षा समझौताः सिर्फ कागजी प्रयास या बदलेगा पश्चिम एशिया
.... *अजय कुमार*

पाठकनामा

GEN-Z: बदलती दुनिया की नई पीढ़ी

Generation-Z (Gen-Z) आज की इस दुनिया की सबसे प्रभावशाली और तेजी से बदलती पीढ़ियों में से एक है। सामान्यतः 2000 के दशक के अंत से लेकर 2010 के शुरुआती वर्षों के बीच जन्मे बच्चों को जेन–ज़ी कहा जाता है। यह वह पीढ़ी है जिसने इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बनते हुए देखा है। इसलिए इसकी सोच, जीवनशैली, शिक्षा और करियर को लेकर दृष्टिकोण पिछली पीढ़ियों से काफी अलग–थलग दिखाई देता है।

जेन–ज़ी को प्रायः डिजिटल पीढ़ी कहा जाता है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, वीडियो प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया इन बच्चों के दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। यह पीढ़ी किसी जानकारी के लिए केवल पुस्तकों या पारंपरिक माध्यमों पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि कुछ ही सेकंड में इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी नई तकनीकों को अपनाने में भी जेन–ज़ी काफी आगे दिखाई देती है।

भारत में जेन–ज़ी देश की युवा शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी तकनीकी समझ, रचनात्मकता और नए प्रयोग करने की क्षमता भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। आज के नए डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप संस्कृति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार के इस युग में जेन–ज़ी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जेन–ज़ी केवल तकनीक के साथ बड़ी हुई पीढ़ी नहीं है, बल्कि यह सोच, काम और समाज को नए तरीके से देखने वाली पीढ़ी है। यदि इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, तो जेन–ज़ी भारत के भविष्य को अधिक आधुनिक, रचनात्मक और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकती है।

किशन शर्मा, अक्षय कृषि परिवार, नई दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दौरान, हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने बेहतरीन कौशल, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रदर्शन किया। उनकी कड़ी मेहनत हमारे युवाओं को प्रेरित करती रहेगी।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

साइकिल चलाना सबसे अच्छे व्यायामों में से एक है। साइकिल चलाना प्रदूषण और ट्रैफ़िक की समस्या का समाधान है। इससे ईंधन की भी बचत होती है, जिससे हमारे पैसे बचते हैं।

मनसुख मंडाविया, युवा मामलों के मंत्री, भारत

हम जो ज्ञान पैदा करते हैं, जो टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं और जिन संस्थानों को मज़बूत करते हैं, वे न केवल मौजूदा पीढ़ी के काम आने चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भी काम आने चाहिए।

प्रह्लाद जोशी, शिक्षा मंत्री, भारत

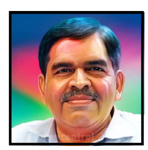

एक रेगुलेटर के तौर पर, एफएसएसएआई की ज़िम्मेदारी है कि वह आम लोगों के हितों की रक्षा करे और उन्हें नुकसानदायक खाने–पीने की चीज़ों से बचाए, लेकिन असल में उसके काम संतोषजनक नहीं रहे हैं।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

एफसीएनआर–बी डिपॉजिटः आलोचक क्यों हैं गलत

ऐसा लगता है कि भारत रुपये के सामने आए उस संकट से उबर चुका है जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के बड़े पैमाने पर बाहर निकलने, युद्ध के कारण कच्चे तेल की महंगाई (जिसमें अंतरराष्ट्रीय रास्ते बंद होना भी शामिल है) और ग्लोबल सट्टेबाजों की चालों की वजह से पैदा हुआ था। रुपये में स्थिरता लाने में एक अहम भूमिका एफसीएनआर –बी डिपॉजिट को जुटाने की रही है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक की विशेष स्वैप स्कीम ने मदद की। इस स्कीम के तहत बैंकों को करेंसी हेजिंग की लागत से राहत मिली, ज़िसकी ज़रूरत उन्हें अपनी बैलेंस शीट को करेंसी रिस्क से बचाने के लिए होती है, खासकर तब जब 3 से 5 साल बाद ये एफ़सीएनआर –बी डिपॉजिट निकाले जाएंगे। इस स्कीम के कारण अब बैंक विदेशी मुद्रा डिपाजिट पर 6 से 7 प्रतिशत का ब्याज दे पा रहे हैं जो पूर्व में मात्र 3 से 4 प्रतिशत ही था। इस खास स्वैप स्कीम से उत्साहित होकर, विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने भारी मात्रा में एफसीएनआर –बी डिपॉजिट जमा शुरू कर दिया, जो अभी तक 50 अरब अमरीकी डालर तक पहुंच चुके हैं। इन डिपॉजिट और दूसरे तरह से आए पैसे के कारण, विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिज़र्व) में खासी बढ़ोतरी हुई। इस स्कीम ने भारतीय रुपये को सहारा दिया और उसे बहुत ज़्यादा गिरने से बचाया। मई 2026 में रुपया गिरकर 97.15 प्रति डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में यह वापस 95–96 रुपये प्रति डॉलर की रेंज में आ गया। इससे सरकार और आरबीआई का आत्मविश्वास फिर से बढ़ा है कि ज़रूरत पड़ने पर डॉलर जमा किए जा सकते हैं, और वह भी ऐसे स्रोत से जो ऐतिहासिक रूप से सबसे भरोसेमंद रहा है। इस तरह मिला पैसा श्हॉट मनीश (अस्थिर पैसा) नहीं है, क्योंकि एक बार जमा होने के बाद इसके पूरी तरह से निकाले जाने की संभावना बहुत कम होती है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों ने एफसीएनआर–बी डिपॉजिट में पैसा जमा किया है, वे न तो रातों–रात गायब होने वाले ऑपरेटर हैं और न ही ग्लोबल एजेंसियों की अपारदर्शी रेटिंग से प्रभावित होने वाले लोग हैं।

अब, जब आरबीआई ने इस स्कीम को 31 अगस्त, 2026 तक जल्दी बंद करने का फ़ैसला किया, कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया है, और साथ ही यह भी कहा है कि इसमें आरबीआई की लागत शामिल है, जिससे भविष्य में आरबीआई का मुनाफ़ा काफ़ी कम हो सकता है; इसका असर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के राजस्व पर पड़ेगा और इससे महंगाई भी बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस स्कीम के आलोचक यह समझने में नाकाम रहे हैं कि एफ़सीएनआर –बी डिपॉजिट के मामले में यह सरकार के लिए शून्य लागत वाला उपाय है। वास्तव में रिजर्व बैंक इन बढ़े हुए रिजर्व को अमरीकी बांड़ों में लगाकर 5 से 6 प्रतिशत का ब्याज भी कमा सकता है। इसलिए, यह मान लेना कि इन डिपॉजिट के निकाले जाने पर आरबीआई को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, और यह स्कीम को पहले बंद करना उचित कदम है, कई वजहों से सही नहीं है।

पहली बात, ऐतिहासिक रूप से एफसीएनआर डिपॉजिट में एफपीआई के निवेश जैसी अस्थिरता शायद ही कभी देखी गई है। जहाँ तक आरबीआई की लागत का सवाल हैकृजो इन डिपॉजिट के निकाले जाने की बहुत कम संभावना वाली स्थिति में उठानी पड़ सकती हैकृतो जब आलोचकों को जब पोर्टफोलियो निवेशकों को ब्याज और कैपिटल गेन पर टैक्स छूट के रूप में लगातार सीधी मदद देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वे एफसीएनआर के लिए दी जाने वाली रियायतों (भले ही वे सीमित समय के लिए हों और पहले ही घोषित की जा चुकी हों) को लेकर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं?

दूसरी बात, आरबीआई की लागत का मुद्दा है। आलोचक यह मान रहे हैं कि चूंकि बैंकों को आरबीआई की स्पेशल स्वैप व्यवस्था के तहत हेजिंग की लागत उठाने से छूट दी गई है, तो इसका मतलब यह है कि हेजिंग की लागत अब आरबीआई को उठानी पड़ेगी; जो कि असल में गलत है। सच तो यह है कि ये डिपॉजिट विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद करेंगे, जो आरबीआई के पास रहेगा और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए एक बफर (सुरक्षा कवच) का काम करेगा। सामान्य परिस्थितियों में इस बफर के इस्तेमाल की संभावना बहुत कम है। और अगर विदेशी जमाकर्ताओं द्वारा पैसे निकालने की कोई अप्रत्याशित घटना होती भी है, तो उन्हीं विदेशी मुद्रा (डॉलर) को उसी फंड से वापस किया जा सकता है जो इन डिपॉजिट से बना है। इसके अलावा, स्पेशल स्वैप स्कीम सिर्फ़ डिपॉजिट पर लागू होती है, ब्याज पर नहीं।

तीसरी बात, हम जानते हैं कि अभी कमर्शियल बैंक डिपॉजिट ग्रोथ में कमी और क्रेडिट ग्रोथ के लगातार ऊंचे बने रहने के कारण भारी दबाव में हैं। अगर इस स्कीम के माध्यम उनके पास 100 अरब अमेरिकी डॉलर आते हैं, तो बैंकों के पास लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड होगा, जिससे लोन देने के लिए फंड की कमी की समस्या आंशिक रूप से हल हो जाएगी।

चौथी बात, इस तरह मिले अतिरिक्त विदेशी मुद्रा संसाधनों ने भारत की बाहरी लिक्विडिटी को मज़बूत किया है और यह तेल की कीमतों में उतार–चढ़ाव, पूंजी के बाहर जाने और रुपये पर अचानक पड़ने वाले दबाव के खिलाफ़ एक बड़ा बीमा (इंश्योरेंस) है। यह एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसे देश किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकता।

पांचवीं बात, हमें यह भी समझना होगा कि परिपक्वता संरचना भी फायदेमंद है। यह खास स्वैप स्कीम 3–5 साल के नए एफसीएनआर (बी) डिपॉज़िट तक ही सीमित है। और इसलिए, अस्थिर पोर्टफोलियो संसाधनों के विपरीत, यह स्कीम अपेक्षाकृत स्थिर विदेशी मुद्रा संसाधनों को सुनिश्चित करती है।

यदि उद्देश्य किसी भी स्रोत से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करना है, तो एफ़सीएनआर डिपॉज़िट अधिक भरोसेमंद और अपेक्षाकृत कम खर्चीले होते हैं, जिनमें आरबीआई पर कोई तत्काल लागत नहीं आती है, और भविष्य में भी जब ये डिपॉज़िट आंशिक या पूर्ण रूप से निकाले जाते हैं, तो इनकी लागत बहुत कम हो सकती है; लेकिन जिस तरह का इंश्योरेंस विदेशी भारतीयों से एफसीएनआर डिपॉज़िट के माध्यम से मिलता है, वह अतुलनीय है। भविष्य में भी, अनिश्चितताओं और वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ़ ज़रूरी इंश्योरेंस और मज़बूती प्रदान करने के लिए ऐसी स्कीम फिर अपनाई जा सकती हैं।

बड़ी भारतीय ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनियाँ बनाने हेतु प्रधानमंत्री का आह्वान

लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, बल्कि भविष्य के लिए एक रोडमैप भी पेश किया और उन क्षेत्रों पर ज़ोर दिया, जहां भारत को अपनी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में, उन्होंने भारतीय बैंकों और दवा कंपनियों से अपने—अपने क्षेत्रों में दुनिया की शीर्ष पांच कंपनियों में जगह बनाने का आह्वान किया। उन्होंने रेटिंग, कानून, अकाउंटिंग और कंसल्टिंग के क्षेत्रों में भारतीय फर्मों के खुद को स्थापित करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया और कहा कि भारत के पास इन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ज़रूरी टैलेंट और क्षमता दोनों मौजूद हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने रेटिंग, कंसल्टिंग, कानूनी और अकाउंटिंग क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। इससे पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने ये बातें उठाई हैं।

एक ओर अंतरराष्ट्रीय कंसल्टिंग फर्में भारतीय सरकार को सलाह देती हैं और राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करती हैं, लेकिन साथ ही वे बड़ी ग्लोबल कंपनियों की भी सलाहकार होती हैं। नतीजतन, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भारतीय सरकार को सलाह देते समय वे मल्टीनेशनल कंपनियों के हितों को प्राथमिकता नहीं देंगी। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्मों के साथ काम करते समय भविष्य की योजनाओं की गोपनीयता और संबंधित डेटा की सुरक्षा भी चिंता का विषय है। इसलिए, योजनाओं और डेटा के लीक होने का जोखिम उठाए बिना भारत के भीतर सही नीतियां बनाने के लिए घरेलू कंसल्टिंग फर्में स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। इस क्षेत्र में ईमानदार सेवाओं की वैश्विक मांग भी है; अगर भारतीय कंपनियां अपनी विशेषज्ञता बढ़ाती हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं देती हैं, तो देश काफी विदेशी मुद्रा कमा सकता है। ज़ाहिर है, इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के आने से न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि यह विदेशी मुद्रा कमाने का एक बड़ा माध्यम भी बन सकती हैं। साथ ही ग्लोबल साज़िशों का शिकार होने से भी बचा जा सकेगा।

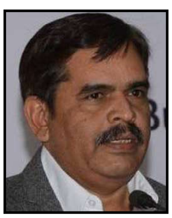

यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने रेटिंग, कंसल्टिंग, कानूनी और अकाउंटिंग क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। इससे पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने ये बातें उठाई हैं।

— डॉ. अश्वनी महाजन

टैलेंट और काबिलियत की नहीं है कमी

यह समझना ज़रूरी है कि बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर दुनिया की प्रमुख कंसल्टिंग, रेटिंग, अकाउंटिंग और लॉ फर्मों के साथ काम करते हैं, चाहे वे भारत में काम करती हों या दुनिया में कहीं और; और कई कंपनियों में तो वे उनके सीईओ के तौर पर भी काम कर रहे हैं। भारत के बेहतरीन संस्थानों से पढ़े—लिखे और अंतरराष्ट्रीय अनुभव रखने वाले हमारे प्रोफेशनल्स किसी से कम नहीं हैं। ठीक इसीलिए प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इस मामले में देश में टैलेंट या काबिलियत की कोई कमी नहीं है।

कमी कहाँ और किस चीज़ की है?

तो, ऐसा क्यों है कि इन सेक्टरों में भारत की कोई बड़ी कंपनियाँ नहीं हैं? इसे समझने के लिए हमें अपने इतिहास को देखना होगा। आज़ादी के बाद, हमारी आर्थिक नीतियाँ

समाजवादी विचारधारा की ओर झुकी हुई थीं। उस समय नीति–निर्माताओं का मानना था कि निजी क्षेत्र के पास ज़रूरी आर्थिक ताकत, टेक्नोलॉजी और जोखिम उठाने की क्षमता या सोच की कमी है; इसलिए, आर्थिक विकास की ज़िम्मेदारी सरकार उठाएगी। ऐसे हालात में, आर्थिक नीति में निजी क्षेत्र को दूसरे दर्जे पर रखा गया। ऐसे माहौल में, कोई सोच भी कैसे सकता था कि कोई भारतीय लॉ फर्म, रेटिंग एजेंसी, या कंसल्टिंग और अकाउंटिंग कंपनी ग्लोबल स्तर पर पहचान बनाएगी और दुनिया भर में अपना नाम कमाएगी?

1991 के बाद अपनाई गई भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण (एलपीजी) की नीतियों के तहत भी, ग्लोबलाइज़ेशन का ही बोलबाला रहा। सोच यह थी कि देश ग्लोबल कंपनियों की मदद से आगे बढ़ सकता है–चाहे वह टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग या सेवा क्षेत्र हो। आत्मविश्वास की कमी के कारण, भारतीय नीति–निर्माताओं ने घरेलू कंसल्टिंग, कानूनी, अकाउंटिंग और रेटिंग एजेंसियों को विकसित करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं।

इसके अलावा, ज़रूरी प्रोफेशनल टैलेंट और काबिलियत होने के बावजूद, भारतीय प्रोफेशनल्स को बड़ी कंसल्टिंग कंपनियाँ बनाने में संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि घरेलू नियम और कानून अक्सर इसमें बाधा बनते हैं।

वास्तविकता तो यह है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण, भारतीय नीति–निर्माताओं ने कभी भी घरेलू कंसल्टिंग, कानूनी, अकाउंटिंग और रेटिंग एजेंसियां विकसित करने के विचार पर गंभीरता से विचार नहीं किया।

जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान भारतीय कंसल्टिंग फर्मों की स्थापना के मुद्दे पर गया, तो यह महसूस किया गया कि इसके लिए महत्वपूर्ण नियामक बदलावों की आवश्यकता होगी। यह देखा गया कि मौजूदा नियम, विशेष रूप से वकीलों और वित्तीय पेशेवरों के लिए, उन्हें कॉर्पोरेट संरचनाएं अपनाने, बहु–विषयक (मल्टी–डिसिप्लिनरी) प्रैक्टिस करने और विदेशी सहयोग करने में बाधा बन रहे हैं।

वास्तविकता तो यह है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण, भारतीय नीति-निर्माताओं ने कभी भी घरेलू कंसल्टिंग, कानूनी, अकाउंटिंग और रेटिंग एजेंसियां विकसित करने के विचार पर गंभीरता से विचार नहीं किया।

हालांकि यह धारणा है कि केवल बहुराष्ट्रीय फर्मों के पास ही विभिन्न देशों में काम करने का अनुभव, अपनी खुद की रिसर्च और विशेष ज्ञान होता है। इसके लिए घरेलू पेशेवरों को शुरुआत करने के लिए उचित अवसर दिए जाने की सख्त जरूरत है। जिसके बिना इन क्षेत्रों में भारत की अपनी कंपनियों का उदय संभव नहीं।

हमारी नौकरशाही भारतीय कंसल्टिंग, कानूनी और अकाउंटिंग फर्मों के विकास में सबसे बड़ी बाधा रही है। उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के नाम पर, भारतीय फर्मों, विशेष रूप से कंसल्टिंग क्षेत्र में, को जानबूझकर सरकारी खरीद अनुबंधों (प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स) के लिए प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा जाता रहा है। उदाहरण के लिए, कुछ करोड़ रुपये के अनुबंधों के लिए सरकारी टेंडरों में अक्सर यह शर्त रखी जाती थी कि बोली लगाने वाली इकाई का टर्नओवर कई हजार करोड़ रुपये होना चाहिए। इसके अलावा, सरकारी खरीद और सेवाओं के लिए कर्मचारियों की संख्या या योग्यता से संबंधित प्रतिबंधात्मक शर्तें अक्सर लगाई जाती थीं; वास्तव में, ऐसी प्रतिबंधात्मक शर्तें न केवल सेवाओं की खरीद में, बल्कि वस्तुओं की खरीद में भी आम बात रही हैं।

हाल ही में भारत सरकार के व्यय विभाग ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में जेम (गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस) पर केंद्र सरकार की खरीद इकाइयों द्वारा जारी कंसल्टेंसी खरीद टेंडरों का अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि (i) टर्नओवर की अत्यधिक उच्च आवश्यकताएं निर्धारित की जाती रही हैं (ii) प्रमुख कर्मचारियों की योग्यता और अनुभव की तुलना में कंसल्टिंग फर्म के अनुभव को अधिक महत्व दिया गया था और (iii) बोली लगाने वाली कंपनियों के वेतनभोगी कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या को पात्रता मानदंड के रूप में निर्धारित किया जाता रहा, जो काम को पूरा करने के लिए आवश्यक वास्तविक जनशक्ति से कहीं अधिक था।

एक बार जब मौजूदा सरकार ने समस्या की स्पष्ट रूप से पहचान कर ली, तो समाधान भी स्पष्ट हो गया। ऐसी कार्यप्रणालियों से निपटने के लिए, भारत सरकार के तहत व्यय विभाग (डिपार्टमेंट आफ़ एक्सपेंडिचर) ने 22 जुलाई, 2026 को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की, जिसमें सरकारी विभागों के लिए एक एडवाइजरी शामिल है। उक्त अधिसूचना में जारी एडवाइजरी कंसल्टेंसी सेवाओं की सरकारी खरीद के लिए क्षमता–आधारित और प्रतिस्पर्धा–उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश करती है, या यूं कहें कि अनिवार्य करती है। योग्यता के नियम खास काम से जुड़े होने चाहिए। इनमें मनमाने ढंग से ज़्यादा टर्नओवर या अनुभव की ऐसी शर्तें नहीं होनी चाहिए जिनसे सिर्फ़ बड़ी कंसल्टिंग कंपनियों को फ़ायदा हो। सलाह में

(शेष पृष्ठ 13 पर ...)

स्वतंत्रता दिवस 2026

'शक्ति की सप्तधारा': विकसित भारत की विकास-दृष्टि

प्रस्तावना

15 अगस्त 2026 को भारत ने स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगाँठ मनाई। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को एक नए विकास–ढाँचे से जोड़ते हुए'शक्ति की सप्तधारा'की अवधारणा प्रस्तुत की। यह किसी एक मंत्रालय तक सीमित पारंपरिक सरकारी योजना नहीं, बल्कि सात परस्पर संबद्ध क्षेत्रों को भारत की राष्ट्रीय शक्ति के आधार के रूप में देखने वाला व्यापक विकास–फ्रेमवर्क है। इसके सात प्रमुख आयाम हैं – निर्माण शक्ति, कृषि एवं खाद्य उत्पादन, तकनीक एवं नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित एवं नीली अर्थव्यवस्था तथा भारत की सॉफ्ट पावर।

सप्तधारा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अब ऐसे चरण में है जहाँ केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर्याप्त नहीं है। रोजगार, उत्पादकता, तकनीकी आत्मनिर्भरता, खाद्य सुरक्षा, बुनियादी ढाँचा, ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक सांस्कृतिक प्रभाव को एक साथ आगे बढ़ाना आवश्यक है। वित्त वर्ष 2025–26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.7 प्रतिशत आँकी गई और वास्तविक जीडीपी का आकार 323.12 लाख करोड़ रहा।

15 अगस्त 2026 की 'शक्ति की सप्तधारा' को किसी एक नई सरकारी योजना के रूप में देखना उचित नहीं होगा। यह विकसित भारत @2047 के लिए सात रणनीतिक क्षेत्रों को एक साझा राष्ट्रीय दृष्टि में जोड़ने वाला विकास–फ्रेमवर्क है।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

1. निर्माण शक्तिः भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा

सप्तधारा की पहली धारा निर्माण शक्ति है। इसका उद्देश्य भारत को केवल एक बड़ा उपभोक्ता बाजार बनाए रखना नहीं, बल्कि वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति–शृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बनाना है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, विमानन, मशीनरी, रक्षा उपकरण तथा अन्य उच्च–मूल्य उत्पादों के घरेलू उत्पादन पर बल दिया गया है।

यह प्राथमिकता भारत के रोजगार–सृजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। विनिर्माण क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न कर सकता है और छोटे तथा मध्यम उद्यमों को बड़ी औद्योगिक आपूर्ति–शृंखलाओं से जोड़ सकता है।

सरकार के 2026–27 के बजट में इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत 239 करोड़ रूपये के वितरण, तीन समर्थित इकाइयों, 2,500 करोड़ रूपये के निवेश और 2,600 करोड़ रूपये के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसी कार्यक्रम के तहत 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार का लक्ष्य भी निर्धारित है। इससे स्पष्ट है कि सप्तधारा में निर्माण शक्ति केवल 'देश में उत्पादन' का नारा नहीं, बल्कि उत्पादन, निवेश, रोजगार और तकनीकी क्षमता को एक साथ विकसित करने की रणनीति है।

2. कृषि एवं खाद्य उत्पादनः खेत से वैश्विक बाजार तक

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व आज भी अत्यंत व्यापक है। इसलिए सप्तधारा की दूसरी धारा कृषि एवं खाद्य उत्पादन को केंद्र में रखती है। इसका लक्ष्य केवल अधिक अनाज पैदा करना नहीं, बल्कि कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात और किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ना है।

2025—26 के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत का खाद्यान्न उत्पादन 376.56 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। यह आँकड़ा भारत की खाद्य उत्पादन क्षमता को दर्शाता है, लेकिन कृषि की अगली चुनौती उत्पादन से आगे बढ़कर किसानों की आय, भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करना है। इस दिशा में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उत्पादन— आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक 165 आवेदन स्वीकृत किए गए, 274 परियोजना—स्थलों को मंजूरी मिली और लगभग 3.39 लाख रोजगार सृजित हुए। खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमता में लगभग 34 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। इसलिए कृषि धारा का वास्तविक अर्थ 'अधिक उत्पादन' से आगे जाकर उत्पादन + प्रसंस्करण + भंडारण + परिवहन + निर्यात की पूरी मूल्य—शृंखला तैयार करना है।

3. तकनीक एवं नवाचारः भविष्य की अर्थव्यवस्था की आधारशिला

सप्तधारा की तीसरी धारा तकनीक एवं नवाचार है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उन्नत अनुसंधान जैसे क्षेत्र आने वाले दशकों में किसी भी देश की आर्थिक और रणनीतिक शक्ति को प्रभावित करेंगे।

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में एक करोड़ युवाओं को एआई प्रशिक्षण देने का लक्ष्य भी सामने रखा। यह लक्ष्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तकनीकी परिवर्तन का लाभ तभी व्यापक होगा जब भारत का विशाल युवा वर्ग नई तकनीकों के विकास और उपयोग के लिए तैयार हो।

तकनीकी आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल विदेशी तकनीक का विकल्प तैयार करना नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है कि भारत अनुसंधान करे, बौद्धिक संपदा विकसित करे, वैश्विक तकनीकी मानकों को प्रभावित करे और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी समाधान तैयार करे।

4. गति शक्तिः अवसंरचना और संपर्क का एकीकृत विस्तार

चौथी धारा 'गति शक्ति भारत की भौतिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ से संबंधित है। सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को अलग—अलग परियोजनाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें एकीकृत प्रणाली के रूप में विकसित करना इसका मूल विचार है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत बंदरगाहों से संबंधित 182 अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी परियोजनाएँ, जिनकी कुल अनुमानित लागत 1,09,018 करोड़ रूपये है, चिन्हित की गई हैं। इनमें से 75 परियोजनाएँ 31,967 करोड़ रूपये की लागत के साथ पूरी हो चुकी थीं।

इसी प्रकार जुलाई 2026 तक 142 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू किए जा चुके थे और 310 अतिरिक्त स्थानों पर इनके विकास की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी। मौजूदा टर्मिनलों की माल ढुलाई क्षमता 224 एमटीपीए बताई गई है।

बेहतर संपर्क का सीधा संबंध आर्थिक प्रतिस्पर्धा से है। यदि किसान का उत्पाद बाजार तक शीघ्र पहुँचे, कारखाने को कच्चा माल समय पर मिले और निर्यात का माल बंदरगाह तक कम लागत में पहुँचे, तो पूरी अर्थव्यवस्था अधिक कुशल बनती है। इस अर्थ में गति शक्ति केवल सड़कों और रेल की कहानी नहीं, बल्कि समय और लागत दोनों को घटाने की आर्थिक रणनीति है।

5. रक्षा शक्तिः सुरक्षा से आत्मनिर्भरता तक

सप्तधारा की पाँचवीं धारा 'रक्षा शक्ति है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा का संबंध केवल सैन्य क्षमता से नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादन, अनुसंधान, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक आत्मनिर्भरता से भी है।

भारत के रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। वित्त वर्ष 2025—26 में भारत का रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया, जो 2024—25 के 1.54 लाख करोड़ रूपये की तुलना में 15.6 प्रतिशत अधिक है। 2020—21 की तुलना में यह वृद्धि लगभग 110 प्रतिशत रही। इसी अवधि में रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रूपये तक पहुँचा, जो पिछले वित्त वर्ष के 23,622 करोड़ रूपये की तुलना में 62. 66 प्रतिशत अधिक है। रक्षा निर्यात में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रही। ये आँकड़े बताते हैं कि रक्षा आत्मनिर्भरता अब केवल आयात कम करने का विषय नहीं रही। यह घरेलू उद्योग, अनुसंधान, रोजगार और निर्यात क्षमता से भी जुड़ रही है।

6. हरित एवं नीली अर्थव्यवस्थाः विकास और पर्यावरण का संतुलन

सप्तधारा की छठी धारा हरित एवं नीली अर्थव्यवस्था है। 21वीं सदी में आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और समुद्री संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग भविष्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक हैं।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 के 76.38 गीगावॉट से बढ़कर 30 जून 2026 तक 288.58 गीगावॉट हो चुकी थी। इसमें सौर ऊर्जा की क्षमता 162.15 गीगावॉट और पवन ऊर्जा की 57.44 गीगावॉट थी। इसी समय कुल गैर–जीवाश्म विद्युत क्षमता 297. 36 गीगावॉट थी। यह परिवर्तन ऊर्जा क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव की ओर संकेत करता है। साथ ही, 'ब्लू इकोनॉमी' भारत के विशाल समुद्री क्षेत्र, बंदरगाहों, मत्स्य संसाधनों, समुद्री परिवहन और समुद्री खनिजों के सतत उपयोग से संबंधित है। इसका लक्ष्य समुद्र को केवल व्यापारिक मार्ग के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक अवसर और रणनीतिक संसाधन के रूप में देखना है।

7. सॉफ्ट पावरः भारत की सांस्कृतिक शक्ति

सप्तधारा की सातवीं धारा भारत की सॉफ्ट पावर है। आर्थिक और सैन्य शक्ति के साथ किसी राष्ट्र की वैश्विक प्रतिष्ठा उसके सांस्कृतिक प्रभाव, ज्ञान, परंपराओं और मूल्यों से भी निर्मित होती है।

योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, कला, संगीत, साहित्य, सिनेमा, डिजिटल सामग्री और भारतीय लोकतांत्रिक अनुभव भारत की वैश्विक पहचान के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। 'सॉफ्ट पावर' का महत्व इस बात में है कि यह बिना प्रत्यक्ष दबाव के किसी देश की संस्कृति और विचारों के प्रति आकर्षण तथा विश्वास उत्पन्न करती है।

डिजिटल युग में इसका क्षेत्र और विस्तृत हो गया है। आज भारतीय फिल्म, संगीत, गेमिंग, ऑनलाइन सामग्री, योग और आयुर्वेद से संबंधित ज्ञान वैश्विक डिजिटल मंचों तक पहुँच सकता है। इसलिए सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक रचनात्मक अर्थव्यवस्था से जोड़ना भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक दोनों अवसर पैदा कर सकता है।

सप्तधारा का समग्र महत्व

इन सातों धाराओं को अलग–अलग देखने के बजाय इनके बीच के संबंध को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, कृषि को आधुनिक तकनीक मिलेगी तो उत्पादकता बढ़ेगी; बेहतर गति शक्ति मिलेगी तो कृषि उत्पाद शीघ्र बाजार तक पहुँचेंगे; खाद्य प्रसंस्करण से मूल्यवर्धन होगा; विनिर्माण से कृषि उपकरण और मशीनरी का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा; हरित ऊर्जा से उत्पादन अधिक टिकाऊ होगा और डिजिटल तकनीक वैश्विक बाजार तक पहुँच बनाएगी।

इसी प्रकार सेमीकंडक्टर और एआई केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। वे रक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा, वित्त और प्रशासन सभी को प्रभावित करेंगे। रक्षा उत्पादन विनिर्माण को मजबूत कर सकता है, जबकि बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स निर्यात को गति दे सकते हैं। इस प्रकार सप्तधारा का मूल विचार क्षेत्रों के बीच समन्वय है।

भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान वृद्धि भी इस व्यापक क्षमता की ओर संकेत करती है। आंकड़ों के अनुसार 2025–26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7. 7 प्रतिशत अनुमानित रही। किंतु विकसित राष्ट्र बनने के लिए केवल उच्च वृद्धि दर पर्याप्त नहीं होगी। विकास को व्यापक रोजगार, बेहतर उत्पादकता, मानव पूँजी, क्षेत्रीय संतुलन और पर्यावरणीय स्थिरता में बदलना होगा।

निष्कर्ष

इसलिए 15 अगस्त 2026 की 'शक्ति की सप्तधारा' को किसी एक नई सरकारी योजना के रूप में देखना उचित नहीं होगा। यह विकसित भारत @2047 के लिए सात रणनीतिक क्षेत्रों को एक साझा राष्ट्रीय दृष्टि में जोड़ने वाला विकास–फ्रेमवर्क है। निर्माण से उत्पादन शक्ति, कृषि से खाद्य सुरक्षा, तकनीक से नवाचार, गति शक्ति से संपर्क, रक्षा से रणनीतिक आत्मनिर्भरता, हरित–नीली अर्थव्यवस्था से टिकाऊ विकास और सॉफ्ट पावर से वैश्विक प्रभाव की आधारभूमि तैयार करने का प्रयास इसमें दिखाई देता है।

हालाँकि किसी भी नीति की सफलता उसके घोषणापत्र में नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन, वित्तीय संसाधनों, संस्थागत क्षमता, निजी क्षेत्र की भागीदारी और परिणामों के स्वतंत्र मूल्यांकन में निहित होती है। सप्तधारा की वास्तविक कसौटी भी यही होगी कि अगले वर्षों में इससे कितने गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा होते हैं, किसानों की आय और उत्पादकता कितनी बढ़ती है, भारत तकनीकी रूप से कितना आत्मनिर्भर होता है, लॉजिस्टिक्स की लागत कितनी घटती है, रक्षा एवं ऊर्जा सुरक्षा कितनी मजबूत होती है और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुँचता है।

यदि इन सात धाराओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित होता है, तो 'सप्तधारा' केवल स्वतंत्रता दिवस के भाषण का एक विचार न रहकर भारत की दीर्घकालिक विकास–यात्रा का महत्वपूर्ण नीति–संदर्भ बन सकती है। स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रस्तुत यह दृष्टि मूलतः उस प्रश्न का उत्तर खोजती है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भारत को आर्थिक, तकनीकी, सामरिक और सांस्कृतिक रूप से कितना सक्षम बनाया जा सकता है। 2047 की दिशा में भारत की अगली यात्रा इसी क्षमता को ठोस परिणामों में बदलने पर निर्भर करेगी। ❑❑

(लेखक उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं)

उपलब्धियों के आंगन में चुनौतियां भी कम नहीं

15 अगस्त 2026 को भारत आजादी के 80 वें वर्ष में किया। बीते 79 वर्षों में भारत ने गरीबी अशिक्षा और सामाजिक असमानता से जूझते हुए आर्थिक प्रगति की सुनहरी दास्तान लिखी,दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई। इस अवसर पर लाल किला से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक सफर को पीछे मुड़कर देखने और आगे की दिशा पर विचार करने का अवसर भी है। प्रधानमंत्री ने विकास की गति को और अधिक धार देने के लिए सात सूत्रों पर आधारित विकास कार्यक्रमों को रेखांकित करते हुए विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने हेतु देशवासियों का खुले मन से भागीदारी करने का आह्वान किया।

वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब देश की अनुमानित जीडीपी लगभग 2.7 लाख करोड़ थी। वैश्विक जीडीपी में भारत का हिस्सा जो कभी 20 प्रतिशत से ऊपर हुआ करता था वह गिरकर केवल चार प्रतिशत रह गया था। देश की 95 प्रतिशत अर्थव्यवस्था कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर टिकी हुई थी। देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता और भारी विविधता की चुनौतियां थी। कहने का आशय यह है कि स्वतंत्रता के समय भारत एक गरीब और कृषि प्रधान देश था। खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भरता थी। औद्योगिक आधार सीमित था और साक्षरता दर बहुत कम थी।

सदियों की गुलामी, विभाजन की पीड़ा, आर्थिक पिछड़ेपन से निकलकर भारत को दुनिया में अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी थी। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि आने वाले वर्षों में यह देश विश्व मंच पर इतनी मजबूत पहचान बना सकेगा, जहां आज पहुंच चुका है। 79 वर्षों की यात्रा में हमने बहुत कुछ हासिल किया है।

सप्त धारा के जरिए स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि एक अधिक न्याय पूर्ण समावेशी और विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के समक्ष खड़ा हो सकता है।

–अनिल तिवारी

आठ दशक की आजादी में तमाम उतार चढ़ाव के बीच नागरिकों को गौरवान्वित करने वाले अनेक पल आए। कुछ प्रमुख घटनाओं को याद करें तो वर्ष 1947 में मिली आजादी के अगले साल ही यानी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई। इसी साल भारत को पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी हासिल हुआ। 1950 में संविधान लागू हुआ 1951 में पहले आईआईटी का उद्घाटन तथा एशियाई खेलों का देश में आयोजन हुआ। 1952 में पहला आम चुनाव तथा पहले टेस्ट क्रिकेट की जीत हासिल हुई। 1956 में दिल्ली में एम्स की स्थापना, राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन, 1957 में राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकृति, 1959 में टेलीविजन की शुरुआत तथा केरल की सरकार को बर्खास्त किया गया। 1960 में सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन, 1962 में चीन भारत युद्ध, 1963 में साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण, 1964 में नेहरू का निधन, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का आकस्मिक निधन, 67 में गैर कांग्रेसवाद का उदय, 1969 में इसरो की स्थापना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत, 1971 में कांग्रेस की चुनावी जीत, भारत–पाक युद्ध और बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1974 में पोखरण प्रमाण परीक्षण, जेपी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन, और रायबरेली से इंदिरा गांधी का चुनाव न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया गया। न्यायालय के निर्णय और जेपी के आंदोलन से घबराई इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में देश पर इमरजेंसी थोप दिया। इसी वर्ष आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण हुआ। 1977 में केंद्र में पहली बार

गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1979 में जनता पार्टी सरकार का पतन हुआ। 1982 में कलर टीवी के प्रसारण की शुरुआत हुई। 1983 में भारत ने पहली बार कपिलदेव की अगुवाई में क्रिकेट विश्व कप जीता। इसी साल भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार मिला। 1984 में राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। 1984 में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया तथा इसी साल इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने हत्या कर दी।

1985 में असम समझौता हुआ, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, 1987 में गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में 10000 रन पूरे किए तथा इसी साल वोफोर्स घोटाले की आंच सबके सामने आई। 1989 में बोफोर्स कांड उजागर करने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने 1990 में उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। इसी वर्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाली। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई और इसी साल आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई।

आर्थिक उदारीकरण की नीति को देश के लिए घातक बताते हुए राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में आर्थिक आजादी की मांग के साथ स्वदेशी जागरण मंच का गठन हुआ। वर्ष 1992 में अयोध्या का विवादित ढांचा गिरा दिया गया। वर्ष 1995 में देश में इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई। वर्ष 1996 में 13 दिन के लिए पहली बार अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार बनी। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला। 1999 में फिर से राजग सरकार बनी और कारगिल युद्ध हुआ। वर्ष 2000 में पहली बार स्वदेशी कार का वैश्विक बाजार में निर्यात हुआ। वर्ष 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। वर्ष 2007 में भारत में टी20 वर्ल्ड कप जीता। 2008 में चंद्रयान का सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ और इसी साल अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण जीता। 2009 के आम चुनाव में फिर से यूपीए 2 की वापसी हुई। वर्ष 2011 में 28 साल बाद भारत फिर से क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और इसी साल अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन मुखर हुआ। वर्ष 2014 में भारी बहुमत से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तथा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इसी साल भारतीय वैज्ञानिकों ने मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा दिया। वर्ष 2017 में इसरो ने एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों को लांच किया। वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ तथा भाजपा को आम चुनाव में फिर से बड़ी जीत हासिल हुई। वर्ष 2021 में नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीता। वर्ष 2023 में चंद्रयान तीन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ तथा संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास हुआ। 2024 में फिर से भाजपा नीत राजग सरकार का गठन हुआ तथा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी। वर्ष 2026 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट हुआ जिसमें दुनिया ने भारत की डिजिटल ताकत को नजदीक से महसूस किया। प्रशासन में जवाब देही और पारदर्शिता को लेकर इसी साल देश में जैन जी और जैन अल्फा का आंदोलन भी चर्चा में रहा है।

आजादी के समय पश्चिम के कई विश्लेषकों का मानना था की भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र और असीम गरीबी के बोझ तले दबा भारत बहुत दिन तक चल नहीं पाएगा, जल्दी ही बिखर जाएगा, लेकिन 8 दशकों का यह सफर इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भारत में न केवल अपनी संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा बल्कि वैश्विक पटल पर एक महाशक्ति के रूप में अपनी धाक जमाई है।

आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। मोबाइल फोन निर्माण में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में है। ऑटोमोबाइल उत्पादन में भी देश दुनिया के शीर्ष देशों में गिना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप संस्कृति ने भारत को नई आर्थिक शक्ति प्रदान की है। डिजिटल क्षेत्र में यूपीआई ने भुगतान प्रणाली में क्रांति ला दी है। आज दुनिया के अनेक देश भारत के इस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ ही सेकंड में होने वाले डिजिटल लेनदेन ने न केवल सुविधा बढाई है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार दी है।

विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी भारत ने अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे विषयों में साबित किया है कि सीमित संसाधनों से भी भारत विश्व स्तर की उपलब्धियां हासिल कर सकता है। अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा उत्पादन और डिजिटल इनोवेशन में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। सड़क और राजमार्ग निर्माण की गति दुनिया में अव्वल है। आज भारत की जीडीपी का आकार 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। वर्तमान में जब दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है, तमाम तरह की आशंकाओं से घिरी हुई है, भारत लगातार आर्थिक प्रगति की सीढ़ी चढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार चालू वर्ष में विकास की दर 7 प्रतिशत के इर्द–गिर्द रहने का अनुमान है।

भारत अपना प्राचीन गौरव हासिल करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। विकास की ढेर सारी सफलताएं हमारी झोली में है, लेकिन इन उपलब्धियों के बीच कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। विकास केवल आंकड़ों और परियोजनाओं से नहीं मापा जाता। उसकी असली कसौटी

उसकी गुणवत्ता होती है। जब नए पुल कुछ ही समय में टूट जाते हैं, करोड़ों के खर्चे से बने राजमार्ग पर गड्ढे दिखाई देने लगते हैं, सार्वजनिक भवनों में निर्माण के बाद रिसाव और तकनीकी खामियां आने लगती है, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है की क्या हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं? एकता में अनेकता और विविधता भारत की पहचान रही है। क्या इसके लिए आवश्यक निरंतर संवाद, विश्वास और समान अवसर ठीक से निर्मित हो पा रहे हैं ताकि विविधता हमारे शक्ति का आधार बन सके? आर्थिक विकास के बावजूद अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई चिंताजनक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक रोजगार के लिए जेन जी और जेन अल्फा सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहा है। आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य से हम दूर क्यों हैं? पर्यावरण बिगड़ रहा है, भूजल स्तर नीचे जा रहा है, नदियों का प्रदूषण कम होने की बजाय बढ़ रहा है। देश की बड़ी आबादी पेय जल संकट का सामना कर रही है। हम सभी जानते हैं कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं बनाया गया तो आने वाले वर्षों में भावी पीढ़ी इसकी बड़ी कीमत चुकाने के लिए मजबूर हो सकती है।

केंद्र सरकार की चौकसी के कारण कोविड महामारी से देश उबर गया है लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक स्थिति भी उजागर हो गई। उस दौर में संसाधनों की कमी ने स्पष्ट कर दिया था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। उच्च शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ रहा है। हाल के बरसों में परीक्षा प्रणाली भी निशाने पर रही है। गरीब और निम्न मध्य वर्ग के परिवारों के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करना कठिनतर होता जा रहा है।

कुल मिलाकर भारत के पास गर्व करने के अनेक कारण हैं। लोकतंत्र की मजबूती आर्थिक तकनीकी नवाचार वैश्विक प्रतिष्ठा सब कुछ में वृद्धि हुई है, लेकिन हमें स्वस्थ मन से यह भी स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौतियां, बढ़ती आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय संकट, भ्रष्टाचार, सामाजिक भेदभाव जैसे तमाम मसले मौजूद है जिन पर काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने सप्त धारा के जरिए इसे सुलझाने का मंत्र दिया है। उन्होंने अपने भाषण में यह संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में अगर देश इन चुनौतियों का समाधान खोजने में सफल होता है तो स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि एक अधिक न्याय पूर्ण समावेशी और विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के समक्ष खड़ा हो सकता है।❑❑

(पृष्ठ 7 से आगे...)

प्रधानमंत्री का भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनियाँ बनाने का आह्वान

खास तौर पर टर्नओवर की उन शर्तों के ख़िलाफ़ चेतावनी दी गई है जो कॉम्पिटिशन को सिर्फ़ "बिग फोर या फाइव" तक सीमित कर देती हैं।

यह तय किया गया है कि 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल' (आरएफपी) के चरण से ही, चयन प्रक्रिया में कंसल्टिंग कंपनी की प्रतिष्ठा या आकार के बजाय, प्रस्तावित कार्यप्रणाली, कार्य योजना और मुख्य्य विशेषज्ञों की गुणवत्ता पर मुख्य्य रूप से ध्यान दिया जाएगा।

इस तरह, सरकारी विभाग ब्रांड/आकार–आधारित खरीद से हटकर काम–विशिष्ट क्षमता, पेशेवर विशेषज्ञता, गुणवत्ता और पैसे की सही कीमत की ओर बढ़ेंगे, जिससे सक्षम भारतीय कंसल्टिंग कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा हो सकते हैं। सरकार का यह कदम भारतीय/राष्ट्रीय सलाहकारों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

इसके अलावा, पेशेवरों को विभिन्न योग्यताओं वाले पेशेवरों के बड़े और विविध समूह के साथ कंसल्टेंसी सेवाएं देने के लिए मल्टी–डिसिप्लिनरी (बहु–विषयक) कंपनियां स्थापित करने में मदद करने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करने का भी कदम उठाया जा रहा है। संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है और इसके संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित होने की संभावना है।

सरकार के ये कदम निश्चित रूप से भारतीय कंसल्टिंग कंपनियों को बड़ा बनने में मदद करेंगे, लेकिन भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए और अधिक कमियों और बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता होगी। हमारे पेशेवर नियामकों को भी स्थिति के अनुसार अपनी मानसिकता बदलनी होगी और एक बड़ी चुनौती से निपटने के लिए अपने संकीर्ण हितों से ऊपर उठना होगा। नौकरशाही को भी विदेशी कंसल्टेंसी कंपनियों से दूर रहने के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी। लेकिन इन सब बातों से भी ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हमारे पेशेवर भी आगे आयें और सरकार द्वारा किए जा रहे नियमों में परिवर्तन का लाभ उठाते हुए, कंसल्टिंग, लॉ, रेटिंग और अन्य प्रकार की वैश्विक कंपनियों को टक्कर दें। ❑❑

विज्ञान और खोज में भारत की असाधारण यात्रा

भारत जब अपनी स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है, तब यह केवल एक ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक खोज, तकनीकी नवाचार और बौद्धिक विकास की एक असाधारण यात्रा पर विचार करने का भी समय है। 1947 के बाद भारत ने सीमित वैज्ञानिक ढाँचे वाले एक नवस्वतंत्र देश से अंतरिक्ष अनुसंधान, चिकित्सा, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, परमाणु विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अनेक अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राष्ट्र तक का लंबा सफर तय किया है।

स्वतंत्रता के समय भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ थीं। गरीबी व्यापक थी, साक्षरता दर कम थी, स्वास्थ्य सुविधाएँ सीमित थीं और वैज्ञानिक संस्थानों की संख्या भी बहुत कम थी। इसके बावजूद देश के नेतृत्व ने यह समझ लिया था कि आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए विज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मौलिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और औद्योगिक विकास के लिए संस्थानों की स्थापना की गई, जिन्होंने भारत के वैज्ञानिक ढाँचे की मजबूत नींव रखी।

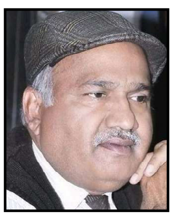

भारत को केवल तकनीक का उपयोग करने वाला देश नहीं, बल्कि नई तकनीक विकसित करने वाला देश बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। केवल वैज्ञानिक विकास का अनुसरण करने के बजाय उसका नेतृत्व करना चाहिए और केवल कुशल पेशेवर तैयार करने के बजाय मौलिक विचारकों, शोधकर्ताओं और खोजकर्ताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए।

– डॉ. विजय गर्ग

भारत की वैज्ञानिक यात्रा का सबसे शानदार अध्याय अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत करने वाले भारत ने उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण, चंद्रमा और मंगल की खोज तथा उन्नत अंतरिक्ष तकनीकों के विकास की क्षमता हासिल की। भारत के चंद्र मिशनों ने चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को व्यापक बनाया, जबकि मंगल मिशन ने यह साबित किया कि सुनियोजित प्रयास और सीमित संसाधनों के बावजूद महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हासिल की जा सकती हैं। इन उपलब्धियों ने लाखों युवा भारतीयों को विज्ञान और इंजीनियरिंग की ओर नए आत्मविश्वास के साथ देखने के लिए प्रेरित किया है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने कृषि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरित क्रांति ने भारत के खाद्य उत्पादन में बड़ा परिवर्तन किया और देश को खाद्यान्न आयात पर निर्भरता

से अधिक खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ने में मदद की। इसके बाद कृषि अनुसंधान ने सूखा–रोधी फसलों, उन्नत किस्मों, जैव प्रौद्योगिकी, मृदा स्वास्थ्य और जलवायु–अनुकूल खेती जैसे क्षेत्रों में प्रगति की। आज चुनौती केवल अधिक भोजन पैदा करना नहीं है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए पौष्टिक और टिकाऊ खाद्य उत्पादन करना भी है।

स्वास्थ्य क्षेत्र वैज्ञानिक प्रगति का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत ने एक विशाल औषधि उद्योग विकसित किया है और किफायती दवाओं तथा टीकों के एक महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भारतीय शोधकर्ताओं और चिकित्सा विशेषज्ञों ने रोग नियंत्रण, निदान, जैव प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योगदान दिया है। कोविड–19 महामारी के दौरान देश के अनुभव ने वैज्ञानिक अनुसंधान, वैक्सीन विकास, उत्पादन क्षमता और स्वास्थ्य ढाँचे के महत्व को और अधिक स्पष्ट किया।

सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति शायद भारत के सबसे दिखाई देने वाले परिवर्तनों में से एक है। कुछ दशक पहले अपेक्षाकृत छोटे तकनीकी क्षेत्र से शुरुआत करने वाला भारत आज सॉफ्टवेयर, डिजिटल सेवाओं, दूरसंचार और तकनीकी नवाचार का एक महत्वपूर्ण वैश्विक केंद्र बन चुका है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के विकास ने यह भी दिखाया है कि तकनीक का उपयोग बड़े पैमाने पर सेवाओं, डिजिटल भुगतान, पहचान और संचार तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।

भारत की वैज्ञानिक कहानी में परमाणु ऊर्जा, पदार्थ विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि उद्योग, आनुवंशिकी, पर्यावरण विज्ञान और नवीकरणीय ऊर्जा भी शामिल हैं। भारतीय संस्थानों ने मौलिक अनुसंधान के साथ–साथ ऐसी तकनीकों के विकास में भी योगदान दिया है, जो आम लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, उन्नत विनिर्माण और स्वच्छ तकनीकों का विस्तार दर्शाता है कि आधुनिक चुनौतियों से निपटने में विज्ञान की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

इन आठ दशकों की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद कोई एक खोज या तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि देश में वैज्ञानिक संस्कृति का विकास है। विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजों और अन्य अनेक संस्थानों ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं की कई पीढ़ियाँ तैयार की हैं। देश के भीतर और विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों ने वैश्विक विज्ञान में भारत के योगदान को मजबूत किया है।

लेकिन वैज्ञानिक प्रगति के 80 वर्षों का उत्सव हमें यह सोचने के लिए भी अवसर देता है कि अगला कदम क्या हो? भारत जलवायु परिवर्तन, जल संकट, प्रदूषण, उभरती बीमारियों, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों, जैव विविधता में कमी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े नैतिक प्रश्नों जैसी जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए केवल अधिक अनुसंधान ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों, शिक्षकों, उद्योग, नीति–निर्माताओं और समाज के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता है।

भारतीय विज्ञान का भविष्य अंततः युवाओं पर निर्भर करेगा। वैज्ञानिक जिज्ञासा को बचपन से ही प्रोत्साहित करना होगा। विद्यार्थियों को केवल परीक्षाओं के लिए जानकारी याद करने के बजाय प्रयोग करने, प्रश्न पूछने, निरीक्षण करने, कुछ नया बनाने और खोज करने के अवसर मिलने चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में मजबूत अनुसंधान संस्कृति, बेहतर प्रयोगशालाओं और वास्तविक जीवन की वैज्ञानिक समस्याओं से परिचय की आवश्यकता है।

भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वैज्ञानिक प्रगति समावेशी हो। तकनीक और अनुसंधान के लाभ ग्रामीण समुदायों, किसानों, महिलाओं, बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुँचने चाहिए। नवाचार तभी सार्थक बनता है जब वह आम नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है।

भारत जब स्वतंत्रता के 81वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तब उसकी वैज्ञानिक यात्रा हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती हैः राष्ट्र केवल अपने प्राकृतिक संसाधनों या आर्थिक संपदा से मजबूत नहीं होते, बल्कि ज्ञान उत्पन्न करने और उस ज्ञान को समस्याओं के समाधान में बदलने की क्षमता से भी मजबूत होते हैं।

प्रयोगशालाओं से खेतों तक, अस्पतालों से उपग्रहों तक, कक्षाओं से डिजिटल नेटवर्क तक – विज्ञान ने पिछले आठ दशकों में भारत के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीमित वैज्ञानिक क्षमता से वैश्विक तकनीकी महत्वाकांक्षा तक की यह यात्रा दृढ़ संकल्प, कल्पनाशीलता और राष्ट्रीय आत्मविश्वास की कहानी है।

अगला अध्याय इससे भी अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए। भारत को केवल तकनीक का उपयोग करने वाला देश नहीं, बल्कि नई तकनीक विकसित करने वाला देश बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। केवल वैज्ञानिक विकास का अनुसरण करने के बजाय उसका नेतृत्व करना चाहिए और केवल कुशल पेशेवर तैयार करने के बजाय मौलिक विचारकों, शोधकर्ताओं और खोजकर्ताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। आने वाले दशक खोज, नवाचार और वैज्ञानिक नेतृत्व के युग बनने चाहिए। ❑❑

(डॉ. विजय गर्ग, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शिक्षाविद् एवं विज्ञान प्रसारक, पंजाब)

संघ का लक्ष्यः व्यक्ति निर्माण से परमवैभव तक

भारतीय समाज में अनुशासन, चरित्र निर्माण और राष्ट्र भावना को जागृत करने वाला एकमात्र संगठन 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रातः स्मरणीय डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन स्थापित तथा हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मूल्यों को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा यह संगठन आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। संघ अपनी शाखाओं में शारीरिक, बौद्धिक और वैचारिक प्रशिक्षण देकर करोड़ों देश प्रेमी, राष्ट्रभक्त नागरिकों की फौज तैयार की है। डॉ विजय वशिष्ठ भी उनमें से एक है। संघ के द्वितीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक डॉ वशिष्ठ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान के अध्यक्ष तथा स्वदेशी जागरण मंच राजस्थान के क्षेत्रीय संयोजक रहे हैं। प्रस्तुत आलेख में डॉक्टर वशिष्ठ ने पवित्र लक्ष्य के लिए परिश्रम के साथ संघ कार्य करते हुए नजदीक रहकर संगठन को जितना जाना, समझा उसे लिपिबद्ध किया है। स्वदेशी पत्रिका के पाठकों के लिए हम इसे दो भागों में हू–ब–हू प्रकाशित कर रहे हैं।

संघ हिन्दू समाज को संगठित व अजेय सामर्थ्य सम्पन्न बनाना चाहता है जिससे हमारा यह राष्ट्र विश्व का सिरमोर राष्ट्र बन सके।

प्रो. विजय वशिष्ठ

वर्ष 1925 में विजयादशमी के शुभ अवसर पर डॉ. हेडगेवार ने नागपुर में एक छोटे से स्थान (मोहतों का बाड़ा) में कुछ बालकों के साथ संघ की स्थापना की। संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार जन्मजात देशभक्त थे। उन्होंने 1921 से 1930 तक कांग्रेस में सक्रिय रहकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया तथा कारावास का दण्ड भी पाया। डॉ. साहेब के मन में बार–बार यह विचार आता था कि देश स्वतंत्र तो हो जायेगा, लेकिन पुनः परतंत्र न हो इसके लिए देश को संगठित करना होगा। इसी विचार के साथ ही उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए हिन्दू संगठन की स्थापना की। प्रारम्भ में डाक्टर साहब का मजाक उड़ाया जाता था कि इन बालकों के साथ मैंदान में खेलने एवं व्यायाम करने से कुछ होने वाला नहीं है – लेकिन आज यही संगठन विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनैतिक एवं गैरसरकारी संगठन है। आज संघ के विचार एवं व्यवहार का प्रभाव न केवल भारत में है, बल्कि विश्व के अनेकों राष्ट्रों में है। अनेकानेक राष्ट्रों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्य भिन्न–भिन्न नाम से चल रहा है। आज संघ के विचारों की अनदेखी या उपेक्षा करके कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें संघ के विचारों से प्रेरित होकर कोई न कोई संगठन नहीं चल रहा हो। संघ का काम व्यक्ति निर्माण का है। व्यक्ति निर्मित होने के बाद वे समाज में वातावरण बनाते हैं। यह स्वावलंबी पद्धति से सामुहिकता से चलने वाला काम है। संघ हिन्दू समाज को संगठित व अजेय सामर्थ्य सम्पन्न बनाना चाहता है जिससे हमारा यह राष्ट्र विश्व का सिरमोर राष्ट्र बन सके।

राजनीति, धर्म, सामाजिक सेवा, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, शिक्षक, चिकित्सक, एडवोकेट्स, विद्वान, शिक्षा आदि अनेको क्षेत्रों में संघ के विचारों से प्रेरणा लेकर अनेकानेक संगठन भिन्न–भिन्न नामों से काम कर रहे हैं।

आज जो लोग संघ को नजदीक से नहीं जानते उनको लगता है कि संघ में ऐसा क्या है जिसके कारण लोग बिना किसी निजी स्वार्थ के सेवा एवं समर्पण भाव से नियमित रूप से कार्य करते आ रहे हैं। आखिर संघ में ऐसा क्या है? संघ में क्या मिलता है? संघ अपने स्वयं सेवकों को क्या देता है? आदि–आदि

इन बिन्दुओं पर विचार करने से लगता है कि संघ किसी को व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं देता – केवल राष्ट्र भक्ति के भाव से ओत–प्रोत हो आपसी प्रेम के आधार पर संघ का कार्य चलता है संघ में कहा जाता हैः–

''देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें।''

स्वयं सेवक कहता हैः– *जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहें।*

संघ के कार्य का आधार है – संघ की नियमित शाखा एवं समर्पण भाव वाले स्वयं सेवक।

संघ की शाखा – डॉ. हेडगेवार ने संघ के कार्य का आधार संघ की नियमित शाखा को बनाया।

शाखा – सार्वजनिक स्थान पर खुले वातावरण में चलने वाली एक घंटे की दैनिक गतिविधि है। यह बहुत सरल एवं किसी प्रकार के रहस्य से दूर है। लेकिन इसको समझना इतना सरल नहीं है। इसको समझने के लिए वर्षों तक शाखा में नियमित भागीदारी आवश्यक है। शाखा का स्वयं सेवक होने के लिए व्यक्ति को निस्वार्थी होना और उसमें समर्पण की भावना होना आवश्यक है। शाखा का आधार है – स्वयं सेवकों में प्रेम एवं राष्ट्रभक्ति का भाव। संघ की 100 वर्षों की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि यह सामाजिक संगठन एवं देशभक्ति का सबसे प्रभावशाली मॉडल है। इसका कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए कहा गया कि संघ को जानना है तो संघ की शाखा में खुले मन से आना चाहिए। संघ शाखा के लिए तृतीय सरसंघचालक श्री बाला साहब देवरस ने कहा था ''संघ की शाखा केवल खेल खेलने अथवा कवायद करने का स्थान मात्र नहीं है अपितु सज्जनों की सुरक्षा का बिना बोले अभिवचन है, तरूणों के लिए संस्कार पीठ है। समाज के लिए निरपेक्ष सहायता का आशा केन्द्र है, महिलाओं के लिए निर्भयता एवं सभ्य आचरण का आश्वासन है, दुष्ट तथा देशद्रोही शक्तियों पर प्रहार करने वाली शक्ति है तथा सबसे प्रमुख समाज जीवन में सुयोग्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराने हेतु योग्य प्रशिक्षण देने वाला विद्यापीठ है।''

संघ का स्वयं सेवक – संघ में कोई सदस्यता नहीं होती। संघ की शाखाओं पर आने वाला स्वयं सेवक होता है। संघ में जो एक बार आ गया, वह हमेशा के लिए आ गया।

''स्वयंसेवक वह जो मातृभूमि – भारत की सेवा के लिए बिना किसी प्रतिदान या पुरस्कार की इच्छा के अनुशासन पूर्वक निर्धारित पद्धति से कार्य करे। स्वयं सेवक की यह कल्पना संघ की अनुपम देन है। स्वयं का विकास, नियमित रूप से स्वाभाविक तौर पर अपने आप होता रहता है। संघ का स्वयंसेवक समाज सेवा – राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। स्वयं सेवक संघ के लिए होता है। संघ स्वयं सेवक के लिए नहीं – स्वयं सेवक आत्म विस्तार करते–करते स्वयं संघ बन जाता है। लोग संघ को स्वयं सेवक के आधार पर जानते हैं – इसलिए स्वयं सेवक का सेवा भावी, ईमानदार एवं चरित्रवान होना आवश्यक है। संघ की शाखा में आने वाले सभी स्वयंसेवक होते हैं।

संघ का स्वयं सेवक कैसा हो? – स्वयं सेवकों के साथ परस्पर बंधुता–आत्मीयता का व्यवहार, पारिवारिक अनुभूति, निस्वार्थ एवं निष्कपटता से ध्येय की ओर बढ़ने वाला तथा मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला होना चाहिए।

संघ का उद्देश्य – अर्थात संघ क्या चाहता है?

संघ का उद्देश्य संघ की प्रार्थना की अंतिम पंक्ति में इस प्रकार बताया गया है :– *परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्। समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्।।*

इसमें भगवान से प्रार्थना की गयी है कि ''हे प्रभु हमारे हृदय में अक्षय तथा तीव्र ध्येय निष्ठा सदैव जागृत रहे। आपके आशीर्वाद से हमारी विजय शालिनी संगठित कार्यशक्ति स्वधर्म का रक्षण कर अपने इस राष्ट्र को परम् वैभव की स्थिति पर ले जाने में अतीव समर्थ हों। संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार ने इच्छा व्यक्ति की थी ''मैं इसी शरीर में रहते हुए अपनी आंखों से समाज को संगठित होते देखूं। ''याचि देही – याचि डोला'' अर्थात इसी देह से और इन्हीं आंखों से। इस संबंध में संघ के सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, ''जब हम पलटकर अपनी इस यात्रा को देखते हैं तो हमें गर्व के साथ–साथ संतोष भी होता है कि हमने यथा संभव वह सब किया जो हम कर सकते थे। लेकिन इसके साथ ही, किंचित अफसोस भी होता है कि लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए शताब्दी वर्ष में सम्पूर्ण समाज को अपनी सहज आत्मीयता से गले लगायें, बिना स्वार्थ और भेद के कैसे जिया जाता है, यह अपने उदाहरण से बतायें। सम्पूर्ण समाज में उत्साह, उमंग एवं सामर्थ्य उत्पन्न कर अपने इस महान राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनें। संघ चाहता है कि हमारा यह राष्ट्र पुनः विश्वगुरू के रूप में जाना जाये।

संघ की कार्यपद्धति – संघ की कार्यपद्धति सामुहिकता की है। संघ की धारणा है कि ध्येय प्राप्ति के लिए संस्कारित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है – संस्कार नियमित अभ्यास से आते हैं, इसलिए संघ ने अपनी कार्यपद्धति में लोक सम्पर्क, लोक संग्रह तथा लोक संस्कार को महत्व दिया। यह विचित्र कार्य पद्धति है। ईर्ष्या नहीं शुद्ध सात्विक प्रेम संघ की कार्यपद्धति का आधार है, यहां नेता समर्थक नहीं, सभी कार्यकर्ता/सहकार्यकर्ता हैं।

संघ के भीतर सभी विषयों पर खुली चर्चा होती है। एक बार कोई निर्णय ले लिया जाता है तो सभी उसकी पालना करते हैं। व्यक्तिगत महत्वकांक्षा एवं प्रतिष्ठा के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। संगठन का सामुहिक हित ही सभी का मुख्य उद्देश्य होता है। संघ के स्वयंसेवक एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते हैं तथा स्वयंसेवकों की मान्यताओं में परस्पर अंतर होने के बावजूद भी, किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता है। निर्णय के अनुसार सभी स्वयंसेवक अपने–अपने दायित्व के अनुसार कार्य को सफलता पूर्वक पूर्ण करते हैं।

संघ का गुरू भगवा ध्वजः– संघ ने किसी व्यक्ति को गुरू नहीं माना। व्यक्ति अमर एवं पूर्ण नहीं होता। व्यक्ति स्खलनशील एवं सर्वगुण सम्पन्न नहीं होता। संघ व्यक्तिनिष्ठ नहीं, ध्येय निष्ठ संगठन है, इसलिए किसी व्यक्ति के स्थान पर तत्व के प्रतीक परम पवित्र भगवा ध्वज को ही गुरू का स्थान दिया।

भगवा ध्वज का अर्थ है – भगवान का ध्वज। भगवा ध्वज त्याग, ज्ञान, पवित्रता और तेज का संदेश देने वाला है। हमारे धर्म, संस्कृति और इतिहास का स्मरण दिलाकर साहस, स्फूर्ति, त्याग और बलिदान की दिशा में बढ़ाने वाला है। संघ के गुरू भगवा ध्वज के बारे में संघ के द्वितीय सर संघचालक प.पू. श्री गुरूजी ने कहा था ''अपने इस कार्य की इतनी प्रगति हो कि कभी जगदगुरू कहलाने वाले इस पवित्र ध्वज के सामने एक बार पुनः यह संसार नत–मस्तक हो जाये। इसके चरणों में अपने जीवन की भेंट चढ़ाकर इसकी पूजा करने के लिए बाध्य हो जाये। यही आकांक्षा यही आवेश अपने अंतःकरण में उत्पन्न हो। संघ हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का भी पूर्ण सम्मान करता है इसके सान–सम्मान के लिए सर्वस्वार्पण को सिद्ध है लेकिन शाखाओं में प्रतिदिन भगवाध्वज के समक्ष कार्यक्रम किये जाते हैं।

संघ के स्वयं सेवकों की प्रतिज्ञाः– संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है। संघ की प्रार्थना में यह कहा गया है – त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् – अर्थात संघ का कार्य हे! प्रभु तेरा ही कार्य है। इसलिए संघ की प्रतिज्ञा में भी यह ही कहा गया ''सर्वशक्तिमान श्रीपरमेश्वर तथा अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने पवित्र हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति तथा हिन्दू समाज का संरक्षण कर हिन्दू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूं। संघ का कार्य मैं प्रमाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से तथा तन, मन, धन पूर्वक करूंगा और इस व्रत का मैं आजीवन पालन करूंगा। भारत माता की जय।

संघ में जातिगत भेदभाव नहीं – संघ हिन्दू समाज में संगठन नहीं बल्कि हिन्दू समाज का संगठन है। संघ में जातिगत भेदभाव को कोई स्थान नहीं है। संघ ऐसा संगठन है – जिसमें सभी एक ध्येय के लिए एक ही पद्धति, एक ही चाल, एक ही ढंग से मिलजुलकर पूर्ण शक्ति से कार्य करते हैं। आर.एस.एस. – यह भेदभाव रहित संपूर्ण हिन्दू समाज का संगठन है। यह कोई दल, संस्था, क्लब, सोसाईटी या गिरोह नहीं है। संघ समाज का संगठन है समाज में नहीं। संघ समाज सेवा में तत्पर, नित्य सिद्ध – चिर विश्वसनीय शक्ति है।

संघ में जातिगत भेदभाव नहीं – इस संबंध में संघ के सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं – संघ में जाति सम्बन्धी कोई चर्चा कभी नहीं होती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सर्वप्रथम यही विचार है कि हम सब हिन्दू हैं। संघ में जाति का कोई स्थान नहीं है। जाति उन्मूलन के लिए टकराव का रास्ता जातिगत भेदभाव को और बढ़ावा देता है। 1974 में संघ के तृतीय संघचालक श्रीबालासाहेब देवरस जी ने कहा था ''समाज में जाति प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। अस्पृश्यता पूर्णरूपेण समाप्त होनी चाहिए।

1934 के वर्धा में चल रहे शिविर में महात्मा गांधी जी ने सभी स्वयं सेवकों का रहन–सहन, खान–पान बिना किसी भेदभाव के देखा तो गांधी जी ने डॉ. हेडगेवार के कार्य की सराहना की।

1966 के विश्व हिन्दू परिषद् के सम्मेलन में सभी साधु–संतों ने एक स्वर में यह घोषणा की कि ''अस्पृश्यता कलंक है तथा इसे किसी भी धर्मग्रंथ का समर्थन नहीं है। मम दीक्षा – हिन्दू रक्षा। हिन्द्वः सोदरा सर्वे। न हिन्दू पतितो भवेत्। इस प्रकार की घोषणा करते हुए समाज में अस्पृश्यता समाप्त करने का आह्वान किया। स्वभाविक रूप से इसका उन्मूलन होना चाहिए। संघ अपने कार्य को सर्वव्यापी एवं सर्वस्पर्शी करना चाहता है अर्थात जहां जहां हिन्दू रहता है वहां–वहां संघ का कार्य पहुंचना चाहिए। हिन्दू समाज के सभी वर्ग, जाति बिरादरी, पथ–उपपंथ एवं सभी दलों के बंधु–बांधव संघ की शाखा में आना चाहिए।

हिन्दूत्व ही राष्ट्रीयता – संघ के विचारों का मूल आधार है हिन्दूत्व। हिन्दूत्व कोई संकीर्ण विचार नहीं है। प्राणीमात्र के कल्याण का मार्ग हिन्दूत्व से होकर ही गुजरता है। हिन्दू ही कहता है – विश्व का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें – हमारे शास्त्रों में कहा गया है–

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः।
सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्।

हिन्दूत्व के संबंध में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा, ''हिन्दू संगठन राष्ट्रीय कार्य है। यह स्वराज्य से भी अधिक महत्व का है। स्वराज्य का संरक्षण नहीं किया, तो क्या उपयोग? स्वराज्य के संरक्षण से भी हिन्दूओं का संरक्षण करना अधिक महत्व का है। हिन्दुओं में सामर्थ्य नहीं होगा तो स्वराज्य का रूपान्तरण दासता में हो जायेगा।

हिन्दूत्व कोई अमूर्त आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन शैली है। सावरकर जी ने कहा हिन्दू जब तक हिन्दू है तब तक ही वह भारत की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्क कर सकता है। यह निश्चय समझ लेना चाहिए कि इस देश का सच्चा राष्ट्रीय, वास्तविक भक्त हिन्दू ही रहा है और हिन्दू ही रहेगा।

भारत में हिन्दूत्व का मजबूत होना राष्ट्र की आवश्यकता है। इसकी रक्षा के लिए हमारे पास शक्ति होना आवश्यक है। हम शक्तिहीन हैं – इसी कारण हमारे धर्म एवं देश पर आक्रमण होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। इसका एक ही उत्तर है – हम प्रचण्ड शक्तिशाली बनें। यह शक्ति हम संगठन के मार्ग से ही उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है – सामर्थ्य मूलं स्वातंत्र्यं संघ मूलं महाबलम। अर्थात स्वतंत्र्य का मूल सामर्थ्य है और सामर्थ्य का मूल संगठन है। इसलिए संगठित होना स्वतंत्रता के लिए भी आवश्यक है।

(शेष अगले अंक में...)

दबाव में आई एफ़एसएसएआई : जन स्वास्थ्य की जीत

(स्वदेशी जागरण मंच के हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लेबल लगाने की उठी थी मांग, 27,727 जागरूक नागरिकों ने किये थे हस्ताक्षर)

दो हफ़्ते पहले, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एफ़एसएसएआई को हानिकारक पैक्ड फूड पर चेतावनी वाले लेबल लगाने में ढिलाई बरतने के लिए फटकार लगाई। यह फटकार '3 एस' और 'अवर हेल्थ सोसाइटी' द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान लगाई गई थी, जिसमें ज़्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फ़ैट वाले पैक्ड फूड पर पैकेट के सामने की तरफ़ (फ्रंट –ऑफ़ –पैक) चेतावनी वाले लेबल लगाना अनिवार्य करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ज़्यादा नमक, चीनी और सैचुरेटेड फ़ैट (एचएसएसएफ) वाले पैक्ड फूड के लिए चेतावनी वाले लेबल अनिवार्य करने में एजेंसी की हिचकिचाहट से यह सवाल उठता है कि क्या वह कॉर्पोरेट घरानों के दबाव में काम कर रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि वे दो हफ़्ते के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करें और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो कोर्ट को इस मामले में खास निर्देश जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कोर्ट ने नागरिकों, खासकर बढ़ते बच्चों की सेहत को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि सख्त चेतावनी वाले लेबल के कारण पारंपरिक भारतीय स्नैक्स (जैसे नमकीन) पर ज़्यादा फ़ैट या नमक की मात्रा की वजह से लाल चेतावनी का निशान लग सकता है। इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी चिंताओं की वजह से सरकार को लोगों में इस बात के प्रति जागरूकता बढ़ाने से पीछे नहीं हटना चाहिए कि वे क्या खा–पी रहे हैं।

सरकार के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर बिना चेतावनी के अस्वास्थ्यकर एचएसएसएफ खाद्य पदार्थों को बेचने की अनुमति दी जाती है, तो न केवल ग़ैर संचारी रोग बढ़ेंगे, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकार का खर्च भी और बढ़ जाएगा।
– स्वदेशी संवाद

मीडिया की कुछ रिपोर्टों के अनुसार, 28 अगस्त 2026 को एफ़एसएसएआई ने पैक्ड फूड और ड्रिंक्स पर पैकेट के सामने की तरफ़ चेतावनी वाले लेबल लगाने का प्रस्ताव रख दिया है। ज़्यादा चीनी, फ़ैट या नमक वाले आइटम के बारे में सख्त लेबल न होने को लेकर बढ़ते जन आक्रोश के बाद उसने अपना रुख बदला है। एफ़एसएसएआई का कोर्ट में एफ़ओपीएल (पैकेट के सामने चेतावनी लेबल) के हिस्से के तौर पर चेतावनी वाले संकेतों पर सहमत होना यह दिखाता है कि नियामक संस्था सुप्रीम कोर्ट, मीडिया और जागरूक नागरिकों के दबाव के आगे झुक गई है।

हमारे देश में सेहतमंद और पौष्टिक खाना बनाने और खाने की पुरानी परंपरा रही है। हमारी पारंपरिक खाने की थाली में आमतौर पर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और दूसरे ज़रूरी पोषक तत्वों का सही संतुलन होता है; इसलिए, हमारी डाइट हमेशा से संतुलित रही है। हालाँकि, हाल के दिनों में प्रोसेस्ड फूड का सेवन तेज़ी से बढ़ा है और बाज़ार अब अल्ट्रा–प्रोसेस्ड फूड से भरा पड़ा है। अहम बात यह है कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा बनाए गए इन अल्ट्रा–प्रोसेस्ड फूड ने बाज़ार का एक बड़ा हिस्सा हथिया लिया है। वैज्ञानिकों का साफ़ मानना है कि ये अल्ट्रा–प्रोसेस्ड फूड कैंसर जैसी कई गैर–संचारी

स्वदेशी जागरण मंच ने Change.org पर एक अभियान शुरू किया, जिसमें हानिकारक पैक्ड फूड पर चेतावनी का संकेत लगाने की मांग की गई। याचिका इस प्रकार हैः

प्रिय स्वास्थ्य मंत्री,

लोगों को हानिकारक पैक्ड खाने से बचाएंः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाने पर चेतावनी का लेबल लगाएँ

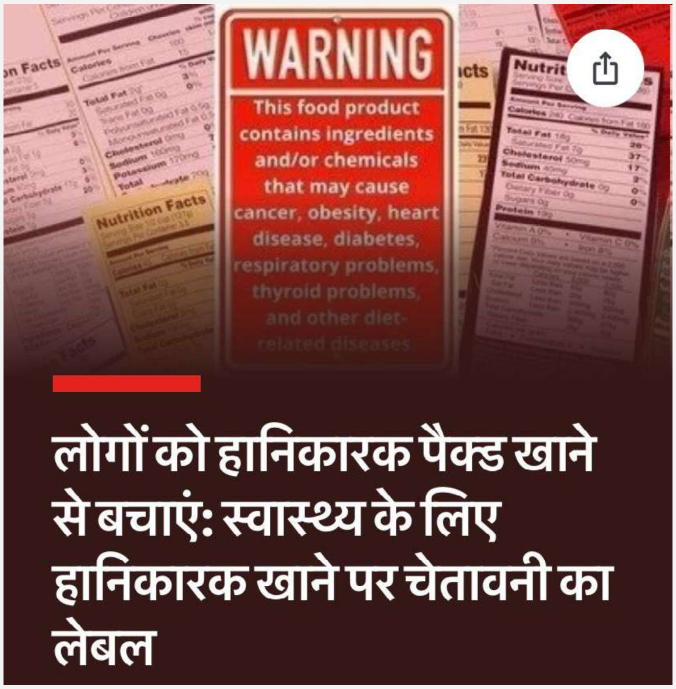

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाने के प्रभाव को कम करने के लिए, भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पैकेज्ड खाद्य उत्पादों के फ्रंट ऑफ पैकिंग लेबल (एफओपीएल) के मॉडल की शुरुआत की है। एफएसएसएआई ने 'हेल्थ स्टार रेटिंग' (एसएसआर) को शामिल करने के लिए एक मसौदा विनियमन जारी करने का निर्णय लिया है। खाद्य उत्पाद को उसकी सामग्री के आधार पर 0.5 से 5 स्टार तक दिया जाएगा।

हमारा मानना है कि यह अल्ट्रा–प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के दबाव में किया जा रहा है, जिन्होंने पहले ट्रैफिक लाइट लेबल का विरोध किया और अब स्टार्स के साथ खुश हैं।

मीटिंग के कार्यवृत्त से पता चलता है कि एफएसएसएआई ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ताओं के हितों को अनदेखा कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की राय को ज़्यादा महत्व दिया है।

वैज्ञानिक प्रमाण इस बात का समर्थन करते हैं कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाने के उत्पादों पर एक 'चेतावनी' का लेबल दर्ज किया जाना चाहिए, और ऐसा करने से हानिकारक उत्पादों का उपभोग भी कम किया जा सकता है।

इस मुद्दे के महत्व को समझते हुए, कई देशों ने पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल को अनिवार्य बनाया है जिनमें चिली, पेरू, इज़राइल, मैक्सिको, उरुग्वे शामिल हैं, और जल्द ही ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना और वेनेजुएला में भी ऐसे लेबल पेश किए जाएंगे।

वैज्ञानिक साक्ष्य खाद्य उत्पादों पर 'हेल्थ स्टार्स' का समर्थन नहीं करते हैं।

वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अल्ट्रा प्रासेस्ड फूड जनता में कैंसर सहित कई और गैर संचारी रोग (एनसीडी) भी पैदा कर रहे हैं।

हम हमेशा से स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाते आए हैं, और हमारा खाना हमेशा संतुलित रहा है। लेकिन हाल के दिनों में, अल्ट्रा प्रासेस्ड फूड का चलन बढ़ा है और विशेष रूप से बाज़ारों में अल्ट्रा प्रासेस्ड फूड भारी मात्रा में बेचे जाने लगा है। इन खाद्य उत्पादों को ज़ोरो शोरों से मार्केट किया जाता है जिससे देश के बच्चों और वयस्कों दोनों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

कंपनियां उपभोक्ताओं को लुभाने और बच्चों को इन उत्पादों के आदी बनाने के लिए अत्यधिक मात्रा में चीनी, नमक (सोडियम) और सैचुरेटेड फ़ैट का उपयोग करती है। हमारे देश में खाने में चीनी, नमक/सोडियम और सैचुरेटेड फैट की अधिकता के कारण डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी व लीवर की बीमारियां आम होती जा रही हैं।

लोगों में जागरूकता की कमी है और लोग खाने के हानिकारक प्रभावों को समझे बिना इसका सेवन कर रहे हैं। इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को बताए कि कौन सा खाना सुरक्षित है और कौन सा नहीं। आज जब देश की खाद्य नियामक संस्था इस संबंध में फैसला ले रही है तो देश के लोगों का स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता होनी चाहिए न कि कंपनियों का मुनाफा।

इसलिए, हम भारत के लोग, हमारे बाजार में उपलब्ध खाद्य उत्पादों का उपभोग करते हुए चाहते हैं किः

1. एफएसएसएआई को खाद्य उद्योग की भागीदारी के बिना निर्णय लेने के लिए कहा जाए।
2. पैक किए गए खाद्य उत्पादों पर चेतावनी का लेबल लगाया जाए जिसपर खाने के हानिकारक तत्वों व उनके दुष्प्रभाव का साफ़ उल्लेख हो।

डॉ. अश्वनी महाजन

राष्ट्रीय सह–संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

बीमारियों (एनसीडी) को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा, कंपनियाँ ग्राहकों को लुभाने और बच्चों को अपने उत्पादों का आदी बनाने के लिए अत्यधिक चीनी, नमक और सैचुरेटेड फ़ैट का इस्तेमाल करती हैं। हमारे देश में, डाइट में चीनी, सोडियम और सैचुरेटेड फ़ैट की ज़्यादा मात्रा के कारण कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी व लिवर की बीमारियाँ तेज़ी से आम होती जा रही हैं। लोगों में पोषण के बारे में जानकारी की कमी और फूड पैकेजिंग पर चेतावनी वाले लेबल न होने के कारण, लोग अनजाने में इन हानिकारक चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। इससे इन बीमारियों का ख़तरा बढ़ रहा है, जिन्हें अक्सर "लाइफ़स्टाइल से जुड़ी बीमारियाँ" कहा जाता है।

अगर ऐसे हानिकारक फूड उत्पादों पर चेतावनी वाले लेबल लगे हों जो यह बताएँ कि उनमें चीनी, नमक या सैचुरेटेड फ़ैट की मात्रा तय सीमा से ज़्यादा है और वे सेहत के लिए हानिकारक हैं, तो ग्राहक संभावित दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक हो जाएँगे और खाना खरीदते समय सही फ़ैसला ले पाएँगे। जहाँ इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनियों की बिक्री कम हो सकती है, क्योंकि ग्राहक उनके अस्वास्थ्यकर उत्पादों को छोड़ देंगे, दूसरी ओर इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।

इसलिए, ग्राहकों को यह बताना बहुत ज़रूरी है कि वे जो पैक्ड फूड खा रहे हैं, वे उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। दूसरे देशों में, चाहे वहाँ चेतावनी वाले लेबल लगाना अनिवार्य हो या न हो, कंपनियों को ग्राहकों की जागरूकता और रेगुलेटरी संस्थाओं की सतर्कता और निष्पक्षता के कारण दबाव का सामना करना पड़ता है। जहाँ पहले एफ़एसएसएआई ने चेतावनी वाले लेबल लागू करने का विरोध किया, वहीं स्वतंत्र मीडिया की रिपोर्टों से पता चलता है कि यही कंपनियाँ दूसरे देशों में अपने उत्पादों के कम हानिकारक प्रकार बेचती हैं। उदाहरण के लिए, समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, भारत में बिकने वाली फैंटा (एक सॉफ्ट ड्रिंक) में दूसरी जगहों पर बिकने वाले उसी उत्पाद की तुलना में तीन गुना ज़्यादा चीनी होती है। हाल ही में यह भी पता चला है कि इंग्लैंड में ज़्यादा नमक होने के कारण नेस्ले की मैगी को 'रेड सिग्नल' (चेतावनी) के साथ बेचा जाता है, जबकि वही उत्पाद भारत में बिना किसी ऐसी चेतावनी के बेचा जा रहा है। यह साफ़ है कि जानकारी की कमी के कारण भारत में बच्चे ऐसे ड्रिंक्स पीकर और ऐसे अन्य उत्पादों का सेवन कर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और एफ़एसएसएआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सवाल किया है कि वह नागरिकों, और खासकर बच्चों की सेहत को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है।

स्वतंत्र विशेषज्ञों की रिसर्च से साफ़ पता चलता है कि देश और दुनिया भर में नुकसानदायक पैक्ड फूड के बढ़ते सेवन और गैर–संचारी रोगों के बढ़ने के बीच सीधा संबंध है। गैर–संचारी रोग, जिनमें कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी व दिल की बीमारियाँ शामिल हैं, पूरी दुनिया में महामारी की तरह फैल रहे हैं। आज भारत में हर चार में से एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है और कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन बीमारियों से बचने का एकमात्र तरीका नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट का बहुत ज़्यादा सेवन न करना है। हालाँकि, जब बड़ी और जानी–मानी कंपनियों के उत्पादों में ये नुकसानदायक चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होने के बावजूद बिना किसी चेतावनी के बेचे जाते हैं, तो इन महामारियों को रोकने का रास्ता बंद हो जाता है।

साफ़ दिख रही सच्चाइयों के प्रति पूरी तरह बेपरवाह होकर, एफ़एसएसएआई ने चिंतित नागरिकों, वैज्ञानिक समुदाय और विशेषज्ञों की समझदारी भरी बातों को नज़रअंदाज़ करना जारी रखा। अस्वास्थ्यकर भोजन, खासकर चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट से भरपूर भोजन पर चेतावनी के संकेत शुरू करने के बजाय, एफ़एसएसएआई ने 4 अक्टूबर 2019 को ऑस्ट्रेलियाई हेल्थ स्टार रेटिंग (एचएसआर) मॉडल की जाँच शुरू की। एफ़एसएसएआई ने सितंबर 2021 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें खास तौर पर 1–5 स्टार एचएसआर सिस्टम और इसके न्यूट्रिशनल एल्गोरिदम के बारे में बताया गया। एफ़एसएसएआई ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, अहमदाबाद (आईआईएम –ए) के साथ एक एमएओयू पर हस्ताक्षर किए और 15 फरवरी 2022 को भारतीय आबादी के बीच पैक्ड फूड के लिए अलग–अलग 'फ्रंट ऑफ़ पैक लेबल; के बारे में उपभोक्ताओं की सोच पर एक स्टडी शुरू करवाई। आईआईएम –ए ने एफ़एसएसएआई की स्टेकहोल्डर्स की बैठक में नतीजे पेश किए।

एफ़एसएसएआई के दस्तावेज़ों के अनुसार, आईआईएम –ए ने एचएसआर की सिफारिश की और 20 सितंबर 2022 को एफ़एसएसएआई ने फ्रंट ऑफ़ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग को शामिल करते हुए ड्राफ्ट नियम जारी किए। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हेल्थ स्टार रेटिंग, उस स्टडी के कारण नहीं बल्कि एफ़एसएसएआई की नीयत का नतीजा है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में इस स्टडी का इस्तेमाल एचएसआर के पक्ष में लिए गए फ़ैसले का समर्थन करने के लिए किया गया था। उस समय के स्टेकहोल्डर्स की मीटिंग के रिकॉर्ड से

साफ़ पता चलता है कि एफ़एसएसएआई के अधिकारियों ने स्टडी शुरू होने से बहुत पहले ही एचएसआर को लागू करने की योजना बना ली थी। जब एफ़एसएसएआई ने एचएसआर लागू करने के लिए ड्राफ़्ट गाइडलाइन्स जारी कीं, तो लोगों ने इसका विरोध किया और विरोधी तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के पास गए, जिसके कारण एचएसआर को लागू करने की प्रक्रिया धीमी हो गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फ़ॉर पॉपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस), मुंबई ने चेतावनी लेबल, एचएसआर और ट्रैफ़िक लाइट सहित पाँच विकल्पों का परीक्षण किया। नतीजों में अस्वास्थ्यकर उत्पादों की पहचान के लिए चेतावनी लेबल को सबसे बेहतर पाया गया।

जबकि एक रेगुलेटर के तौर पर एफ़एसएसएआई की ज़िम्मेदारी आम लोगों के हितों की रक्षा करना और उन्हें हानिकारक भोजन से बचाना है, लेकिन उसकी असल भूमिका संतोषजनक नहीं रही है। एफ़एसएसएआई को अच्छी तरह पता था कि कई देशों ने चेतावनी संकेत, ट्रैफ़िक लाइट और अन्य उपाय अपनाए हैं जो अलग–अलग स्तरों पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कर सकते हैं, और चेतावनी संकेत भारत के लिए सबसे उपयुक्त हैं; फिर भी उसने एचएसआर को बढ़ावा देने का फ़ैसला किया; और चेतावनी संकेतों को लागू करने का विरोध किया, जबकि इस मामले पर सार्वजनिक रूप से काफ़ी बहस हुई थी, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ़ तौर पर एफ़एसएसएआई की संदिग्ध भूमिका की ओर इशारा किया है। अब, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट ने चेतावनी संकेतों के प्रति अपना मज़बूत झुकाव दिखाया, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चेतावनी संकेतों के पक्ष में मज़बूत मीडिया दबाव के साथ, चेतावनी संकेत अब कोई दूर का सपना नहीं रह जाएंगे। केंद्र सरकार से भी उम्मीद की जाती है कि वह एफ़एसएसएआई की गलत जानकारी से बाहर निकलकर जनहित में काम करेगी। सरकार, और ख़ासकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए यह साबित करना ज़रूरी है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, सरकार के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर बिना चेतावनी के अस्वास्थ्यकर एचएसएसएफ खाद्य पदार्थों को बेचने की अनुमति दी जाती है, तो न केवल ग़ैर संचारी रोग बढ़ेंगे, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकार का खर्च भी और बढ़ जाएगा। अब जब एफएसएसएआई ने जन दबाव में न्यायालय में चेतावनी संकेत लागू करने का अपना प्रस्ताव पेश कर दिया है, माना जा सकता है की जन स्वास्थ्य पर सरकार जल्द ही सख़्त रूख अपनाते हुए इसे जल्द लागू करेगी। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : **http://swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC: BKID-0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं क्वांटम कम्प्यूटिंगः

औद्योगिक क्रांति 5.0: भारत का स्वदेशी मार्ग और चुनौतियां

वर्तमान में विश्व एक साथ दो प्रौद्योगिकीय क्रांतियों – कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और क्वांटम कंप्यूटिंग – के संगम से गुज़र रहा है। यह आलेख इस संगम से उत्पन्न तीन मूलभूत चुनौतियों – रोजगार एवं आजीविका, नैतिक मूल्य एवं साइबर सुरक्षा, तथा पर्यावरणीय स्थिरता विशेषतः जल एवं ऊर्जा सुरक्षा – का विश्लेषण स्वदेशी दृष्टिकोण से करता है। साथ ही यह प्रश्न भी उठाता है कि क्या एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग का सम्मिलन औद्योगिक क्रांति 5.0 (इंडस्ट्री 5.0) को जन्म देगा, और क्या वह क्रांति वास्तव में मानव–केंद्रित होगी अथवा केवल तकनीक–केंद्रित। आलेख का निष्कर्ष है कि तकनीक पर नियंत्रण की दिशा – चाहे वह भारत के हाथ में हो या विदेशी निगमों के – यही तय करेगी कि भविष्य की यह क्रांति मनुष्य की सेवा करेगी या मनुष्य को अप्रासंगिक बना देगी। स्वदेशी दृष्टि इस संदर्भ में तकनीक–विरोध नहीं, अपितु सृजनशील आत्मनिर्भरता की वकालत करती है।

प्रस्तावना

इक्कीसवीं शताब्दी को यदि किसी एक तकनीक की शताब्दी कहा जाए तो वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस – एआई) है। जिस प्रकार भाप के इंजन ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, बिजली ने आधुनिक उद्योगों को गति दी, और इंटरनेट ने सूचना क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, उसी प्रकार एआई आने वाले वर्षों में मानव जीवन, समाज, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, शासन, युद्ध, चिकित्सा और संस्कृति – सबको बदलने वाला है। परंतु एआई अब अकेला नहीं है। इसके साथ अब एक दूसरी तकनीक – क्वांटम कंप्यूटिंग – भी परिपक्व हो रही है, जो सूचना–प्रसंस्करण की मूल प्रकृति को ही बदलने की क्षमता रखती है। जब ये दोनों तकनीकें एक साथ परिपक्व होंगी, तो उनका सम्मिलित प्रभाव किसी भी एक तकनीक के प्रभाव से कहीं अधिक व्यापक होगा।

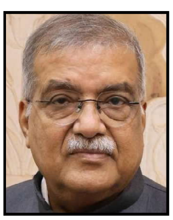

स्वदेशी का संकल्प है – स्वदेशी ज्ञान, स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी नवाचार और मानव–केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता; अर्थात् तकनीक का भारतीयकरण, समाज का सशक्तिकरण और राष्ट्र का आत्मनिर्भर निर्माण।
– डॉ. धनपतराम अग्रवाल

भारत के सामने प्रश्न केवल इतना नहीं है कि इन तकनीकों का उपयोग कैसे करें, बल्कि इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत इनका निर्माता बनेगा या केवल उपभोक्ता? यह आलेख इस व्यापक प्रश्न को तीन ठोस चुनौतियों के माध्यम से परखता है – रोजगार, नैतिकता–सुरक्षा और पर्यावरण तथा अंत में यह विश्लेषण करता है कि क्या ये तकनीकें मिलकर औद्योगिक क्रांति 5.0 को जन्म देंगी, और क्या वह क्रांति मानव–केंद्रित होगी।

एआई एवं क्वांटम कंप्यूटिंगः संक्षिप्त परिचय

कृत्रिम बुद्धिमत्ताः सरल भाषा में एआई अर्थात् ऐसी मशीन या कंप्यूटर जो मनुष्य की तरह सीख सके, सोच सके, निर्णय ले सके और कार्य कर सके। पहले कंप्यूटर केवल आदेश मानता था, जबकि एआई स्वयं डेटा से सीखता है – उदाहरणस्वरूप चैटजीपीटी, गूगल जेमिनी, स्वचालित वाहन, चेहरा पहचान, भाषा अनुवाद तथा चिकित्सीय निदान प्रणालियाँ। आज एआई कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, बैंकिंग, प्रशासन, न्याय, सुरक्षा और

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था – सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है।

क्वांटम कंप्यूटिंगः पारंपरिक कंप्यूटर सूचना को "0" अथवा "1" के रूप में (बिट में) संसाधित करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर "क्यूबिट" का उपयोग करते हैं, जो क्वांटम भौतिकी के अध्यारोपण (सुपरपॉजिशन) एवं उलझाव (इंटंजलेमेंट) के सिद्धांतों के कारण एक साथ अनेक अवस्थाओं में रह सकते हैं। इससे कुछ विशेष प्रकार की गणनाएँ – जैसे बड़ी संख्याओं का गुणनखंडन, जटिल अणुओं का अनुकरण (सिमुलेशन), अनुकूलन (ऑप्टिमाइज़ेशन) की समस्याएँ, तथा विशाल डेटासेट में प्रतिरूप (पैटर्न) खोजना – परंपरागत कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र गति से संभव हो सकती हैं। भारत की राष्ट्रीय क्वांटम मिशन – जिसे अप्रैल 2023 में लगभग 6,003.65 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकृति दी गई – इस दिशा में भारत के प्रयासों का केंद्र–बिंदु है। इस मिशन के अंतर्गत 2026 के मध्य तक भारत अपने दस–वर्षीय 2,000 किलोमीटर के क्वांटम–संचार लक्ष्य का आधे से अधिक भाग तीन वर्षों के भीतर ही पूरा कर चुका है, जो रक्षा, बैंकिंग तथा सामरिक संचार की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण है।

एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग एक–दूसरे की पूरक तकनीकें बनती जा रही हैं। जहाँ एआई पैटर्न पहचानने और निर्णय लेने में सक्षम है, वहीं क्वांटम कंप्यूटिंग उन गणनाओं को गति दे सकती है जिन्हें एआई मॉडलों के प्रशिक्षण एवं अनुकूलन हेतु आवश्यक माना जाता है। इसी संगम को "क्वांटम एआई" कहा जा रहा है, जो आगे चलकर औषधि–अनुसंधान, सामग्री विज्ञान, जलवायु–प्रतिरूपण तथा वित्तीय जोखिम–विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है।

तीन मूलभूत चुनौतियाँ

एआई जितना बड़ा अवसर है, उतनी ही बड़ी चुनौती भी है। इस आलेख में तीन चुनौतियों पर विशेष बल दिया गया है – क्योंकि ये तीनों भारत जैसे विशाल, युवा तथा संसाधन–संवेदनशील देश के लिए सर्वाधिक निर्णायक सिद्ध होंगी।

रोजगार एवं आजीविका पर प्रभावः एआई अनेक कार्य स्वयं करने लगेगा – क्लर्क, डेटा एंट्री, कॉल सेंटर, लेखा, ड्राइवर, अनुवाद तथा प्रारंभिक–स्तर की प्रोग्रामिंग जैसे कार्यों में स्वचालन तेज़ी से बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन तथा विश्व आर्थिक मंच जैसी संस्थाओं के अध्ययन लगातार यह संकेत देते रहे हैं कि दोहराव वाले (रूटीन), प्रवेश–स्तरीय तथा नियम–आधारित कार्यों में रोजगार की माँग घटेगी, जबकि एआई–प्रबंधन, प्रॉम्प्ट–इंजीनियरिंग, डेटा–गवर्नेंस तथा मानव–मशीन सहयोग जैसे नए कौशलों की माँग बढ़ेगी। भारत के लिए यह चुनौती विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि प्रतिवर्ष लाखों युवा श्रम–बाज़ार में प्रवेश करते हैं और देश की बड़ी सेवा–अर्थव्यवस्था (विशेषतः आईटी–बीपीओ क्षेत्र) उन्हीं प्रवेश–स्तरीय कार्यों पर टिकी है जिन्हें एआई सर्वाधिक तीव्रता से स्वचालित कर सकता है।

साथ ही यह भी सत्य है कि प्रत्येक तकनीकी क्रांति ने नई नौकरियाँ भी उत्पन्न की हैं – जैसे बिजली, कंप्यूटर तथा इंटरनेट ने पुराने रोजगार समाप्त कर नए रोजगार सृजित किए। प्रश्न रोजगार की कुल संख्या का उतना नहीं जितना रोजगार के स्वरूप, कौशल तथा वितरण का है। यदि नए कौशल–विकास में निवेश समय रहते नहीं हुआ, तो "रोजगारहीन वृद्धि" (जॉबलेस ग्रोथ) की आशंका और गहरी हो सकती है, तथा जो वर्ग नए कौशल तक पहुँच से वंचित रहेगा, वह आर्थिक रूप से पीछे छूट सकता है।

- नीतिगत आवश्यकताः कौशल–पुनर्नवीकरण (रेसकिलिंग) एवं आजीवन शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था
- एआई–सह–मानव कार्यमॉडल को प्रोत्साहन, ताकि एआई प्रतिस्थापन नहीं, सहायक बने
- ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी युवाओं तक डिजिटल कौशल की पहुँच सुनिश्चित करना

नैतिक मूल्य एवं साइबर सुरक्षाः एआई का दूसरा संकट क्षेत्र नैतिकता और सुरक्षा है। एआई अब ऐसी तस्वीरें और वीडियो (डीपफेक) बना सकता है जो बिल्कुल असली प्रतीत होती हैं। इससे समाज में भ्रम फैल सकता है, चुनाव प्रभावित हो सकते हैं, तथा सार्वजनिक विश्वास क्षीण हो सकता है। इसी के साथ एआई का उपयोग बैंक धोखाधड़ी, पहचान चोरी, स्वचालित हैकिंग तथा बड़े पैमाने पर डिजिटल अपराध में भी बढ़ रहा है – साइबर हमले अब मानव–चालित न होकर एआई–चालित होते जा रहे हैं, जिससे उनकी गति एवं मात्रा दोनों बढ़ गई है।

भविष्य के युद्ध ड्रोन, स्वायत्त रोबोट तथा एआई–नियंत्रित हथियार प्रणालियों से लड़े जाएँगे। इसलिए एआई राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है, और साथ ही यह गहरे नैतिक प्रश्न भी खड़ा करता है कि किसी निर्णय की अंतिम शक्ति – विशेषतः जीवन–मृत्यु से जुड़े निर्णयों की – किसके हाथ में रहे। यहीं क्वांटम कंप्यूटिंग की दोहरी भूमिका भी सामने आती है – एक ओर क्वांटम–की–वितरण (क्वाटम–की–डिस्ट्रीब्यूशन) आगे चलकर "हैक–प्रूफ" संचार का आधार बन सकती है, वहीं दूसरी ओर पर्याप्त शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर वर्तमान में प्रचलित अधिकांश एन्क्रिप्शन प्रणालियों को भेदने की क्षमता भी रखते हैं। इसी कारण भारत की राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत निर्मित क्वांटम–सुरक्षित संचार

नेटवर्क को वित्तीय प्रणाली तथा संवेदनशील राष्ट्रीय अवसंरचना की भावी "क्वांटम–हैकिंग" से रक्षा हेतु रणनीतिक महत्व दिया जा रहा है।

- नैतिक एआई के स्तंभः सत्य, पारदर्शिता, मानव गरिमा, गोपनीयता तथा उत्तरदायित्व
- डीपफेक एवं फेक न्यूज़ की पहचान हेतु तकनीकी एवं कानूनी ढाँचा
- "पोस्ट–क्वांटम क्रिप्टोग्राफी" की ओर समय रहते संक्रमण की आवश्यकता

पर्यावरणीय चुनौतियाँः जल एवं ऊर्जा सुरक्षाः तीसरी और अक्सर कम चर्चित चुनौती पर्यावरणीय है। एआई मॉडलों के प्रशिक्षण एवं संचालन हेतु विशाल डेटा सेंटरों की आवश्यकता होती है, जिनकी बिजली–खपत विश्व स्तर पर तीव्र गति से बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार डेटा सेंटरों की वैश्विक बिजली–खपत वर्ष 2024 के लगभग 415 टेरावाट–घंटे से बढ़कर वर्ष 2030 तक लगभग दोगुनी – करीब 945 टेरावाट–घंटे – तक पहुँच सकती है, तथा इसमें एआई–केंद्रित डेटा सेंटरों की खपत सबसे तीव्र गति से – कुछ अनुमानों में तिगुनी तक – बढ़ने का अनुमान है। यह वृद्धि इतनी तीव्र है कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन जैसे कुछ शहरों में डेटा सेंटर अब कुल बिजली–खपत के एक बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी हो चुके हैं, जिससे वहाँ की ग्रिड–अवसंरचना पर गंभीर दबाव पड़ रहा है।

बिजली के साथ–साथ जल भी एक छिपी हुई किंतु गंभीर चुनौती है। बड़े डेटा सेंटरों को ठंडा (कूलिंग) रखने के लिए भारी मात्रा में जल का उपयोग होता है – यद्यपि नई "लिक्विड–कूल्ड" प्रणालियाँ प्रत्यक्ष जल–उपयोग को 70 से 90 प्रतिशत तक घटा सकती हैं, फिर भी बिजली–उत्पादन के माध्यम से जल की अप्रत्यक्ष खपत बनी रहती है। भारत जैसे देश के लिए, जहाँ अनेक क्षेत्र पहले से ही जल–तनाव (वाटर स्ट्रेस) का सामना कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर एवं एआई–अवसंरचना की स्थापना करते समय जल–सुरक्षा को ऊर्जा–सुरक्षा जितना ही महत्व देना आवश्यक होगा। पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के तटीय एवं नदी–बहुल क्षेत्रों में यदि भावी डेटा–सेंटर एवं एआई–अवसंरचना निवेश आकर्षित करने हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन तथा जलविद्युत) तथा जल–पुनर्चक्रण आधारित "हरित डेटा सेंटर" मॉडल को प्राथमिकता देनी होगी।

- नवीकरणीय ऊर्जा–आधारित "ग्रीन एआई डेटा सेंटर" नीति
- लिक्विड/इमर्शन कूलिंग जैसी जल–दक्ष तकनीकों को अनिवार्य मानक बनाना
- डेटा सेंटर स्थापना हेतु स्थानीय जल–उपलब्धता का अनिवार्य मूल्यांकन (वाटर एंपेक्ट एस्सिमेट)
- ऊर्जा–दक्ष (कम पावर–खपत वाले) भारतीय एआई चिप एवं मॉडल–डिज़ाइन में निवेश

एआई+क्वांटम कंप्यूटिंग = औद्योगिक क्रांति 5.0?

यूरोपीय आयोग ने वर्ष 2021 में "इंडस्ट्री 5.0" की अवधारणा प्रस्तुत की, जो इंडस्ट्री 4.0 (स्वचालन एवं डिजिटलीकरण) की पूरक है। इंडस्ट्री 5.0 के तीन आधार–स्तंभ हैं – मानव–केंद्रितता (हुमेन–सेंट्रीसिटी), स्थिरता (सस्टेंबिलिटी) तथा प्रत्यास्थता (रेजिलेंस)। इसका मूल प्रश्न यह है कि "हम नई तकनीकों से क्या कर सकते हैं" के बजाय "तकनीक हमारे लिए क्या कर सकती है" – अर्थात् केंद्र में लाभ या दक्षता नहीं, बल्कि मनुष्य का कल्याण हो।

जब एआई की निर्णय–क्षमता क्वांटम कंप्यूटिंग की गणना–शक्ति से जुड़ती है, तो उत्पादन–प्रणालियाँ, आपूर्ति–शृंखलाएँ तथा सेवाएँ इतनी तीव्र, वैयक्तिकृत एवं जटिल होने लगेंगी जितनी इंडस्ट्री 4.0 के स्वचालन–आधारित मॉडल में संभव नहीं थीं। इस अर्थ में, एआई–क्वांटम संगम निश्चय ही इंडस्ट्री 5.0 की तकनीकी नींव को सुदृढ़ करता प्रतीत होता है – परंतु यह ध्यान रहे कि इंडस्ट्री 5.0 मूलतः एक तकनीकी अवस्था नहीं, अपितु एक नीतिगत एवं मूल्यगत चयन है। तकनीक स्वयं यह तय नहीं करती कि वह मानव–केंद्रित होगी या नहीं – यह निर्णय समाज, सरकार तथा उद्योग की सामूहिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है।

क्या यह क्रांति मानव–केंद्रित होगी?: इसका उत्तर "हाँ भी और नहीं भी" है, और यह पूर्णतः इस पर निर्भर करेगा कि तकनीक पर नियंत्रण किसका है। यदि एआई एवं क्वांटम अवसंरचना – चिप, क्लाउड, बड़े मॉडल तथा डेटा – पर मुट्ठी भर वैश्विक निगमों का एकाधिकार बना रहता है, तो यह क्रांति "डेटा–उपनिवेशवाद" तथा "श्रमिक के हाशिए पर जाने" की दिशा में भी जा सकती है – अर्थात् नाम भले इंडस्ट्री 5.0 का हो, प्रकृति में वह मानव–केंद्रित के बजाय पूंजी–केंद्रित रह सकती है। इसके विपरीत, यदि तकनीक का विकास एवं नियंत्रण विकेंद्रीकृत, पारदर्शी तथा मानव–मूल्यों पर आधारित हो – जैसा भारतीय दर्शन में "विवेक" को बुद्धि से ऊपर स्थान देकर बताया गया है – तो यही संगम वास्तव में मनुष्य की क्षमता को बढ़ाने वाला, कार्यकर्ता की गरिमा की रक्षा करने वाला तथा पर्यावरणीय सीमाओं का सम्मान करने वाला बन सकता है।

यह साफ है कि एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग मिलकर इंडस्ट्री 5.0 की तकनीकी क्षमता अवश्य प्रदान करेंगे, परंतु वह क्रांति "मानव–केंद्रित" बनेगी या नहीं – यह तकनीक की प्रकृति से

नहीं, अपितु नीति, स्वामित्व एवं मूल्य–चयन से तय होगा। भारत के लिए यही वह बिंदु है जहाँ स्वदेशी दृष्टि सर्वाधिक प्रासंगिक हो जाती है।

स्वदेशी दृष्टि एवं भारत के लिए नीतिगत समाधान

स्वदेशी का अर्थ तकनीक का विरोध नहीं है। स्वदेशी कहता है – तकनीक का उपयोग मानव–कल्याण के लिए हो, राष्ट्रीय हित में हो, और आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाला हो। स्वदेशी दृष्टि के प्रमुख आयाम इस प्रकार हैं – स्वदेशी का सही अर्थ केवल विरोध नहीं अपितु सृजनशील आत्मनिर्भरता है; तकनीकी आत्मनिर्भरता; डिजिटल स्वराज; डेटा–संप्रभुता; भारतीय मूल्यों की रक्षा; तथा मानव–केंद्रित विकास।

- ***रोजगार हेतुः*** राष्ट्रीय कौशल–पुनर्नवीकरण मिशन को एआई–युग के अनुरूप सुदृढ़ करना, तथा शिक्षा प्रणाली में एआई–साक्षरता को प्रारंभिक स्तर से जोड़ना
- ***नैतिकता–सुरक्षा हेतुः*** भारतीय भाषाओं एवं मूल्यों पर आधारित एआई मॉडल विकसित करना, तथा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत पोस्ट–क्वांटम सुरक्षा ढाँचे को वित्तीय एवं सामरिक अवसंरचना तक शीघ्र विस्तारित करना
- ***पर्यावरण हेतुः*** डेटा–सेंटर एवं एआई–अवसंरचना निवेश को नवीकरणीय ऊर्जा तथा जल–दक्ष तकनीकों से अनिवार्यतः जोड़ना, विशेषतः पूर्वी भारत एवं पश्चिम बंगाल में हरित–ऊर्जा आधारित "एआई कॉरिडोर" विकसित करने की संभावना तलाशना
- ***अपना डेटा सुरक्षित रखनाः*** भारत का डेटा भारत में सुरक्षित रहे, तथा उसका उपयोग भारतीय कानूनों के अनुसार हो
- ***मौलिक अनुसंधानः*** एआई मॉडल, एआई चिप, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड तथा रोबोटिक्स में निवेश बढ़ाना, ताकि भारत केवल उपयोगकर्ता नहीं, निर्माता राष्ट्र बने

स्वदेशी कार्यकर्ता का कार्य केवल विरोध करना नहीं है। उसकी भूमिका है – समाज को जागरूक करना, अवसरों को समझाना, जोखिमों के प्रति सावधान करना, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहित करना, युवाओं को कौशल–विकास हेतु प्रेरित करना, तथा तकनीक को भारतीय संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों से जोड़ना।

एआई, क्वांटम तथा भारतीय दर्शन

भारत का दर्शन कहता है – *"सा विद्या या विमुक्तये।"* ज्ञान वह है जो मुक्ति दे। यदि एआई अथवा क्वांटम–संचालित तकनीक मनुष्य को विवेकहीन बना दे, या उसकी स्वतंत्रता एवं गरिमा को क्षीण करे, तो वह ज्ञान नहीं कहलाएगी। भारतीय संस्कृति में बुद्धि का सर्वोच्च स्थान है, परंतु बुद्धि से भी ऊपर विवेक है। एआई के पास बुद्धि जैसी क्षमता हो सकती है – वह सूचना का विश्लेषण कर सकता है, परंतु धर्म–अधर्म, न्याय–अन्याय तथा उचित–अनुचित का अंतिम निर्णय मनुष्य ही कर सकता है। विवेक, करुणा, नैतिकता और आत्मबोध केवल मनुष्य में हैं। इसलिए एआई अथवा क्वांटम–संवर्धित एआई कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता; वह केवल मनुष्य का सहायक बन सकता है। यही भारतीय दृष्टि है, और यही "मानव–केंद्रित इंडस्ट्री 5.0" की सच्ची कसौटी भी है।

निष्कर्ष

इक्कीसवीं शताब्दी की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा केवल अर्थव्यवस्था की नहीं होगी, बल्कि ज्ञान, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा क्वांटम कंप्यूटिंग की होगी। भारत के सामने दो मार्ग हैं – विदेशी एआई एवं क्वांटम तकनीक पर निर्भर उपभोक्ता राष्ट्र बनना, अथवा स्वदेशी एआई एवं क्वांटम क्षमता विकसित कर विश्व का नेतृत्व करना। स्वदेशी का मार्ग दूसरा है। यह प्रश्न केवल मशीनों का प्रश्न नहीं है – यह मनुष्य का, समाज का, संस्कृति का, अर्थव्यवस्था का, राष्ट्रीय सुरक्षा का तथा पर्यावरण का प्रश्न है, और सबसे बढ़कर यह भारत के आत्मनिर्भर भविष्य का प्रश्न है।

यदि तकनीक पर भारत का नियंत्रण होगा तो तकनीक भारत की सेवा करेगी। यदि तकनीक पर विदेशी नियंत्रण होगा तो वही तकनीक भविष्य के डिजिटल उपनिवेशवाद का माध्यम बन सकती है। रोजगार, नैतिकता–सुरक्षा तथा जल–ऊर्जा सुरक्षा – इन तीनों चुनौतियों का समाधान समय रहते किया गया, और एआई–क्वांटम संगम को भारतीय मूल्यों तथा मानव–गरिमा से जोड़ा गया, तो "इंडस्ट्री 5.0" भारत के लिए केवल एक तकनीकी अवस्था नहीं, बल्कि "विकसित भारत 2047" की ओर एक सशक्त मानव–केंद्रित कदम सिद्ध होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग आ चुका है। अब प्रश्न यह नहीं कि एआई अथवा क्वांटम तकनीक आएगी या नहीं; प्रश्न यह है कि यह तकनीक भारत के हित में कार्य करेगी या भारत इसके पीछे चलेगा। स्वदेशी का संकल्प है – स्वदेशी ज्ञान, स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी नवाचार और मानव–केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता; अर्थात् तकनीक का भारतीयकरण, समाज का सशक्तिकरण और राष्ट्र का आत्मनिर्भर निर्माण। ❑❑

(सी.ए. डॉ. धनपत राम अग्रवाल, पीएच.डी. (अर्थशास्त्र) तथा प्रमुख शोधकर्ता एवं संस्थापक निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल ट्रेड (आईआईट्रेड), कोलकाता)

संदर्भ

- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), Energy and AI तथा Key Questions on Energy and AI रिपोर्ट्स (2025–2026)।
- यूरोपीय आयोग, Industry 5.0 – Towards a Sustainable] Human&Centric and Resilient European Industry (2021)।
- भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission) संबंधी प्रेस विज्ञप्तियाँ (2023–2026)।
- Our World in Data] ßHow much energy do data centers and artificial intelligence use?" (2026)।

डेटा ड्रेन के युग में दादाभाई नौरोजी के 'ड्रेन थ्योरी' की पुनर्रचना

'ड्रेन' अब सोने के रूप में नहीं है; यह बिट्स और बाइट्स के रूप में है। यदि हम अपने डेटा का घरेलू स्तर पर मुद्रीकरण करने में विफल रहते हैं, तो इतिहास हमें उतनी ही कठोरता से आंकेगा जितनी कठोरता से उसने 19वीं सदी के औपनिवेशिक नीति–निर्माताओं को आंका।

– प्रो. दीपक शर्मा

लगभग सवा सौ साल पहले दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश शोषण पर आधारित अपना ऐतिहासिक ग्रंथ 'पॉवर्टी एंड अन–ब्रिटिश रूल इन इंडिया' प्रकाशित किया था। आज एक नए प्रकार का औपनिवेशिक शोषण हो रहा है। यह शोषण सोने–चांदी से भरे जहाजों के जरिए नहीं होता, न ही यह कच्चे कपास या नील के निर्यात की मांग करता है। इसके बजाय, यह प्रकाश की गति से फाइबर–ऑप्टिक केबलों के माध्यम से यात्रा करता है, और अपने साथ 21वीं सदी की सबसे कीमती वस्तु लेकर आता है – डेटा।

नौरोजी का 'ड्रेन थ्योरी' (धन–निष्कासन सिद्धांत) एक अत्यंत सरल लेकिन गहन आर्थिक विश्लेषण था। उन्होंने सिद्ध किया कि ब्रिटिश शासन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा था। कराधान, प्रशासनिक खर्चों और कच्चे माल के निर्यात के माध्यम से भारत में धन पैदा तो होता था, लेकिन यह धन भारतीय अर्थव्यवस्था में पुनर्निवेशित नहीं किया जाता था। इसके विपरीत, इसे 'होम चार्जेज', ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और अनुपस्थित जमींदारों के मुनाफे के रूप में इंग्लैंड भेज दिया जाता था। नौरोजी ने तर्क दिया कि यह 'बाहरी निष्कासन' ही भारत की व्यापक गरीबी का प्रमुख कारण था, जिसने देश को पूँजी निर्यातक से एक अधीनस्थ उपनिवेश में बदल दिया। आज, जब हम 2026 का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीए) लागू कर रहे हैं, तो हमें एक चिंताजनक प्रश्न का सामना करना पड़ता है: क्या डेटा नया धन है, और क्या हम 'डेटा ड्रेन 2.0' देख रहे हैं?

समकालीन 'ड्रेन' को समझने के लिए, हमें डिजिटल दिग्गजों के अर्थशास्त्र पर विचार करना होगा। गूगल, मेटा, अमेज़न और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की असंख्य स्टार्टअप भारतीय साइबरस्पेस पर वस्तुतः "डिजिटल संप्रभु" की तरह काम कर रही हैं। वे खनिजों का खनन नहीं करते; वे 'डिजिटल निकासी' करते हैं। भारत में हर यूपीआई लेन–देन, हर सर्च क्वेरी, हर सोशल मीडिया स्क्रॉल, और हर वॉयस कमांड एक डेटा पॉइंट उत्पन्न करता है। उपभोक्ता इस डेटा को 'मुफ्त' मानते हैं, लेकिन वास्तव में, यह वह "मजदूरी" है जो हम डिजिटल सेवाओं के लिए चुकाते हैं। एक बार संग्रहित होने के बाद, इस कच्चे संसाधन को संसाधित (प्रोसेस) किया जाता है, समृद्ध किया जाता है, और इसे उच्च–लाभ वाले एआई मॉडल्स, लक्षित विज्ञापन प्रोफाइलों और व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि में बदल दिया जाता है। अंतिम उच्च–मूल्य वाला उत्पाद – चाहे वह सेवा हो या विज्ञापन – फिर वैश्विक स्तर पर बेचा जाता है, और राजस्व सीधे सिलिकॉन वैली में कॉर्पोरेट मुख्यालयों को वापस भेजा जाता है।

यह गणित नौरोजी की मूल शिकायत को प्रतिध्वनित करता है। जबकि भारतीय कच्चा माल (डेटा) प्रदान करते हैं, उन्हें 'अतिरिक्त मूल्य' (वेल्यू एडीड) का बहुत कम हिस्सा मिलता है। बौद्धिक संपदा (एआई), एल्गोरिदम और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यधिक विदेशी स्वामित्व में रहते हैं। भारतीय डेटा से उत्पन्न धन भारतीय स्कूलों, सड़कों या स्वास्थ्य सेवाओं को वित्तपोषित नहीं करता; यह न्यूयॉर्क में शेयर बायबैक और कैलिफोर्निया में लाभांश को

वित्तपोषित करता है। यह व्यापार घाटा नहीं है; यह 'ज्ञान घाटा' है। यह एक अरब लोगों के डिजिटल श्रम से आर्थिक अधिशेष का निष्कर्षण है, बिना किसी समकक्ष स्थानीय पुनर्निवेश के।

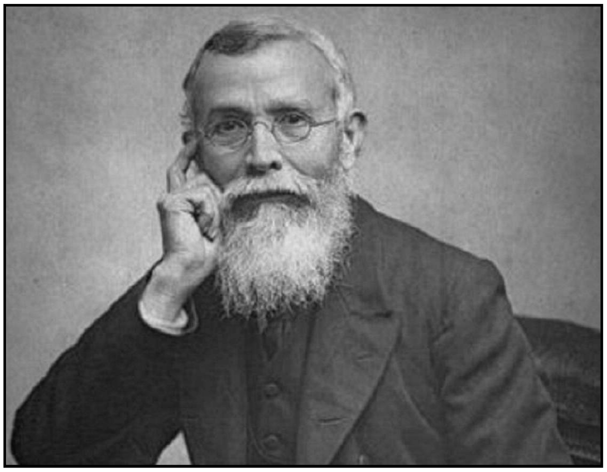

यह हमें ऐतिहासिक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2026 तक लाता है। यह अधिनियम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार है जब भारत ने स्पष्ट रूप से 'डेटा संप्रभुता' पर जोर देने का प्रयास किया है। यह अनिवार्य करता है कि 'गंभीर' व्यक्तिगत डेटा भारतीय सीमाओं के भीतर संग्रहीत किया जाना चाहिए–यही 'डेटा लोकलाइज़ेशन' का सिद्धांत है। हालाँकि, इस अधिनियम को मिश्रित समीक्षाएँ मिली हैं। कई आलोचक इसे डिजिटल युग का 'आधार–से–पहले–गेहूं' करार देते हैं – एक कानूनी ढाँचा जो गोपनीयता की रक्षा तो करता है, लेकिन मूल्य के व्यापक आर्थिक बहिर्वाह को संबोधित करने में विफल रहता है। जबकि डेटा लोकलाइज़ेशन यह सुनिश्चित करता है कि सर्वर भौतिक रूप से भारतीय धरती पर हों, यह आवश्यक नहीं कि मुनाफा भी यहीं रहे।

यदि नौरोजी आज जीवित होते, तो वे संभवतः तर्क देते कि केवल डेटा के भंडारण को स्थानीय बनाना उसी के समान है जैसे अंग्रेजों को बॉम्बे के गोदामों में कपास रखने की अनुमति देना, और फिर तैयार वस्त्रों को मैनचेस्टर भेज देना। प्रोसेसिंग – अर्थात डेटा का "विनिर्माण" – वह जगह है जहाँ वास्तविक धन निहित है। यदि भारतीय डेटा केवल यहाँ संग्रहीत किया जाता है लेकिन विदेशी एल्गोरिदम द्वारा प्रसंस्कृत किया जाता है, तो 'ड्रेन' जारी रहता है।

समय की तत्काल मांग है 'स्वदेशी 2.0' का उद्घोष हो। मूल स्वदेशी आंदोलन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और घरेलू उद्योगों का पुनरुद्धार था। डिजिटल क्षेत्र में, स्वदेशी 2.0 का अर्थ डेटा लोकलाइज़ेशन से डेटा प्रोसेसिंग लोकलाइज़ेशन की ओर आमूल–चूल बदलाव होना चाहिए। हमें डीपीडीए के गोपनीयता और सुरक्षा पर केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर, एक ऐसे आर्थिक मॉडल की ओर मुड़ना होगा जो भारत के भीतर डेटा प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करे। इसके लिए एक ठोस नीतिगत पहल की आवश्यकता है ताकि विदेशी 'बिग टेक' कंपनियां 'डेटा रॉयल्टी' या एक महत्वपूर्ण 'उपयोगकर्ता–भागीदारी कर' का भुगतान करें, जो तैयार डिजिटल उत्पादों पर सीमा शुल्क के समान हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए घरेलू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई अनुसंधान और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफार्मों में बड़े पैमाने पर निवेश की मांग है।

'इंडिया एआई मिशन' और घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण कार्यक्रम के लिए सरकार का प्रयास सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन इन्हें और गति देने की आवश्यकता है। यदि हम डेटा को स्थानीय स्तर पर प्रोसेस कर सकें, तो हम एआई मॉडलों के स्वामी बन सकते हैं, पेटेंट हासिल कर सकते हैं, और अंततः उस मूल्य को अपने पास रोक सकते हैं जो वर्तमान में बह रहा है।

हालाँकि, बिग टेक को 'नया ब्रिटिश राज' कहना अतिसरलीकरण होगा। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना शोषण संगीन और नौकरशाही के बल पर लागू किया था। आज, यह निष्कर्षण स्वैच्छिक है, जो सुविधा के रूप में प्रच्छन्न है। हम गूगल मैप्स और व्हाट्सएप का उपयोग करना चुनते हैं क्योंकि उनकी उपयोगिता अपार है। स्वदेशी 2.0 का अर्थ इन उपकरणों को अस्वीकार करना नहीं हो सकता; इसका अर्थ हमारी क्षमता का पूँजीवादी दावा करना होना चाहिए। नौरोजी की प्रतिभा केवल यह दिखाने में नहीं थी कि भारत गरीब है, बल्कि यह साबित करने में थी कि भारत को व्यवस्थित रूप से गरीब बनाया गया था। आज, हमें यह साबित करना होगा कि भारत केवल एक 'डिजिटल कॉलोनी' नहीं है, बल्कि एक डिजिटल रूप से उपनिवेशित अर्थव्यवस्था है। डीपीडीए 2026 एक लंबे युद्ध में पहली गोली है। यह हमें गोपनीयता की रक्षा के लिए उपकरण देता है, लेकिन अब हमें कच्चे माल को प्रोसेस करने के लिए कारखाने डेटा सेंटर और एआई प्रयोगशालाएँ बनानी होंगी।

'ड्रेन' अब सोने के रूप में नहीं है; यह बिट्स और बाइट्स के रूप में है। यदि हम अपने डेटा का घरेलू स्तर पर मुद्रीकरण करने में विफल रहते हैं, तो इतिहास हमें उतनी ही कठोरता से आंकेगा जितनी कठोरता से उसने 19वीं सदी के औपनिवेशिक नीति–निर्माताओं को आंका। हमारे पास डेटा है। हमारे पास जनसंख्या है। अब, हमें 'ड्रेन' को रोकने और एक ऐसी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की इच्छाशक्ति की आवश्यकता है जो भारत के लिए काम करे। ❑❑

एथनोल–20 मिश्रित पेट्रोल पर अनावश्यक विवाद

वर्तमान में पेट्रोल में एथनोल–20 के बीस प्रतिशत मिश्रण को लेकर भ्रम फैलाये जा रहे हैं और इस पर अनावश्यक राजनीति भी हो रही है। वैज्ञानिक तथ्यों और शोध के पश्चात एथनोल–20 का पेट्रोल में मिश्रण पिछले कई वर्षों से हो रहा है और यह राष्ट्रीय नीति का अंग है। इस वर्ष में पेट्रोल में एथनोल–20 के मिश्रण के कारण पैट्रोलियम का आयात कम हुआ हैं और देश को रु. 1.97 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। कार निर्माताओं ने लाखों कारें इन वर्षों में निर्मित की हैं और कारों के विभिन्न मॉडल बाज़ार में उतारे हैं। वर्तमान में भारत में पाँच करोड़ कारें और 26 करोड़ दुपहिया वाहन चल रहे हैं। परंतु कभी ऐसा विवाद सामने नहीं आया। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के बीच नागरिकों को दी गई पर्याप्त वित्तीय राहत का उल्लेख करते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि संकट के चरम पर पेट्रोल पंप पर लगभग रु. 30 प्रति लीटर की बचत हुई। एथेनॉल मिश्रण का महत्व केवल हर दिन सबसे सस्ता ईंधन होने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं को वैश्विक तेल बाज़ारों में अत्यधिक अस्थिरता से बचाना, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और देश के ईंधन बिल का अधिक हिस्सा विदेशों में भेजने के बजाय भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर ही रखना है।

यह दवाब ऐसे समय में आया है जब भारत जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और सस्टेनेबल एनर्जी विकल्पों को बढ़ावा देना चाहता है। एथनोल के उपयोग से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में पेट्रोल की तुलना में 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की कमी होती है और वायु प्रदूषण दूर होता है।

आज यह विवाद तब उठ रहे हैं जब पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के मध्य युद्ध पिछले पाँच माह से चल रहा है और इस युद्ध में पश्चिम एशिया के विभिन्न तेल

इथेनॉल न केवल एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कार्बनिक विलायक और अल्कोहल पेय उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता ईंधन स्रोत भी बन गया है।

– विनोद जौहरी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी फ्यूल रिटेलर्स द्वारा बेचे जाने वाले प्रीमियम ग्रेड के पेट्रोल की आपूर्ति बिना एथनॉल मिश्रण के जारी रहेगी। इसके साथ ही यह भी कहा कि पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण को 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है।

उत्पादक देश चपेट में आ गए हैं और हॉर्मुज जलडमरुमध्य और लाल सागर में व्यापारिक पोतों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। भारतीय पोतों पर भी आक्रमण हुए हैं। इस कारण से भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति ईरान, कुवैत, इराक, ओमान आदि से बहुत कम हो गयी है। भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए कम घनत्व वाला पैट्रोलियम रूस से आयात करना पड़ रहा है और विभिन्न अन्य तेल उत्पादक देशों जैसे अमेरिका, वेनजुएला, ब्राज़ील आदि से अधिक कीमत और अधिक ट्रांसपोर्टेशन लागत पर खरीदने की विवशता हो गयी है।

एथनोल–20 पर भ्रम फैलाने वाले इकोसिस्टम को पता है कि देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है और इस भ्रम को फैलाने का यही समय है, सही समय है जिससे सरकार को राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर किया जा सके। फिर भी देश में नेतृत्व ने इस भयंकर संकट में, जो अभी समाप्त नहीं हुआ है और निकट भविष्य में इसका समाधान भी दिखाई नहीं दे रहा, देश में पेट्रोल, डीजल का संकट जनमानस के लिए नहीं खड़ा होने दिया है। इस संकट को देखते हुए लोग भी तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद कर रहे हैं।

केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, रूस और यूरोपीय देशों में भी एथनोल मिश्रण का अनुपात बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की ओर से बार बार इस संदर्भ स्पष्टीकरण दिये जा रहे हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वाहनों का माइलेज तीन से पाँच प्रतिशत कम हो सकता है परंतु इंजन की क्षमता बढ़ जाती है और नौकिंग भी कम होती है। दूसरा पक्ष यह भी हैं के एथनोल के उत्पादन और पेट्रोल में मिश्रण के कारण एथनोल की मांग बढ़ने से संबन्धित कृषि उपज वृद्धि से किसानों की आय बढ़ गयी है। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि ई–20 ईंधन से बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने या वारंटी रद्द होने का कोई आधिकारिक प्रमाण सत्यापित नहीं हुआ है। इसके साथ ही, बिना एथेनॉल वाले प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल की आपूर्ति पहले की तरह जारी रखने का भी आश्वासन दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी फ्यूल रिटेलर्स द्वारा बेचे जाने वाले प्रीमियम ग्रेड के पेट्रोल की आपूर्ति बिना एथनॉल मिश्रण के जारी रहेगी। इसके साथ ही यह भी कहा कि पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण को 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने लोकसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रीमियम पेट्रोल ग्रेड – इंडियन आयल कॉर्पोरेशन का एक्सपी100, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पावर100 और भारत पेट्रोलियम का स्पीड100 में – में एथनॉल नहीं मिलाया जाता है। कुल पेट्रोल बिक्री में इनकी हिस्सेदारी केवल 0.5 प्रतिशत है। पेट्रोल के इस ग्रेड की कीमत लगभग 160 रुपये प्रति लीटर है, जबकि सामान्य पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है, जिनमें 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाया गया है। केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश गोपी ने कहा कि पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण को 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाने के बारे में कोई भी निर्णय वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों, ऑटोमोबाइल निर्माताओं, तेल विपणन कंपनियों व अनुसंधान संस्थानों से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार को वाहन निर्माताओं, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन या उपभोक्ता संगठनों से ई–20 ईंधन के बारे में कोई व्यापक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। 26 करोड़ से ज्यादा दो पहिया वाहन और पाँच करोड़ से अधिक पेट्रोल कारें उच्च एथनॉल मिश्रण से चल रही हैं। इनमें एथनॉल मिश्रण के कारण बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने का कोई सत्यापित प्रमाण नहीं मिला है।

इथेनॉल न केवल एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कार्बनिक विलायक और अल्कोहल पेय उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता ईंधन स्रोत भी बन गया है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में इथेनॉल के उपयोग में वैश्विक रुचि कई कारणों से बढ़ रही है – यह जहरीली नहीं हैं और वायु प्रदूषण का कारण नहीं है; पेट्रोल की तुलना में एक उच्च ऑक्टेन रेटिंग उत्पन्न करता है; ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक विकास करता है; ऊर्जा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं; और जीवाश्म ईंधन की अपरिहार्य कमी के लिए एक व्यवहार्य प्रतिस्थापन हैं। ❑❑

(विनोद जौहरी – पूर्व आईआरएस अधिकारी एवं 'द यूनाइटेड नेशन्स रोल इन कश्मीर' के लेखक (जुलाई 2026 में प्रभात प्रकाशन, दिल्ली द्वारा प्रकाशित))

अक्षय ऊर्जा : गाँव और किसान

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और कृषि की उत्पादकता का एक महत्त्वपूर्ण आधार ऊर्जा है। सिंचाई के लिए पंप, खेतों में पानी की व्यवस्था, फसल कटाई और प्रसंस्करण, भंडारण, शीतगृह, दुग्ध उत्पादन तथा ग्रामीण लघु उद्योग, इन सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक ग्रामीण भारत की ऊर्जा–व्यवस्था मुख्यतः डीजल, कोयला और पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर रही। इससे किसानों की लागत बढ़ी, प्रदूषण में वृद्धि हुई और ऊर्जा की उपलब्धता भी कई क्षेत्रों में असमान बनी रही। ऐसे परिदृश्य में अक्षय ऊर्जा गाँव और किसान, दोनों के लिए केवल पर्यावरण संरक्षण का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक परिवर्तन का आधार बनकर उभर रही है।

अक्षय ऊर्जा से आशय ऐसे ऊर्जा–स्रोतों से है जो प्रकृति में लगातार पुनः उपलब्ध होते रहते हैं। सूर्य, पवन, जल, जैव–पदार्थ और बायोगैस इसके प्रमुख स्रोत हैं। भारत के लिए सौर ऊर्जा का विशेष महत्त्व है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में वर्ष के बड़े भाग में पर्याप्त सूर्यप्रकाश उपलब्ध रहता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 30 जून 2026 तक भारत की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 288.58 गीगावाट हो चुकी थी। इसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 162.15 गीगावाट थी। यह वृद्धि बताती है कि ऊर्जा का भविष्य धीरे–धीरे पारंपरिक ईंधनों से आगे बढ़कर स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोतों की ओर जा रहा है।

अक्षय ऊर्जा भारत के गाँवों के लिए भविष्य की कोई दूरस्थ कल्पना नहीं, बल्कि वर्तमान में आकार लेती हुई विकास–व्यवस्था है। यदि इसे किसान–केंद्रित, विकेंद्रीकृत और टिकाऊ नीति के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो आने वाले समय में भारतीय गाँव केवल अन्न के उत्पादक नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादक भी बन सकते हैं।

– **शिवनंदन लाल**

गाँवों के लिए अक्षय ऊर्जा का महत्त्व

ग्रामीण भारत में ऊर्जा की आवश्यकता केवल घरेलू प्रकाश तक सीमित नहीं है। कृषि, पशुपालन, सिंचाई और ग्रामीण उद्योगों की उत्पादकता भी ऊर्जा की उपलब्धता से सीधे जुड़ी है। सौर ऊर्जा के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए सौर पंप लगाए जा सकते हैं। इन पंपों के संचालन में डीजल की आवश्यकता नहीं होती, जिससे किसान को ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार–चढ़ाव से कुछ हद तक राहत मिल सकती है।

सौर ऊर्जा का प्रयोग ग्रामीण घरों में प्रकाश, पंखे, छोटे विद्युत उपकरण और मोबाइल चार्जिंग जैसी आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा आधारित छोटे शीतगृह, दूध शीतलन केंद्र, आटा चक्की, मसाला प्रसंस्करण इकाइयाँ तथा अन्य लघु ग्रामीण उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। इस प्रकार अक्षय ऊर्जा केवल बिजली पैदा करने की तकनीक नहीं है, बल्कि गाँवों में उत्पादन, रोजगार और आय के नए अवसर निर्मित करने का माध्यम भी है।

भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति में भी पिछले वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सरकार के अनुसार मार्च 2026 तक औसत ग्रामीण विद्युत आपूर्ति लगभग 22.6 घंटे प्रतिदिन तक पहुँच गई थी, जबकि 2014 में यह औसतन 12.5 घंटे थी। फिर भी कृषि क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा का विस्तार महत्त्वपूर्ण बना हुआ है।

किसान और सौर ऊर्जा

किसानों के लिए अक्षय ऊर्जा की सबसे प्रत्यक्ष उपयोगिता सौर सिंचाई पंपों में दिखाई देती है। सिंचाई कृषि की लागत और उत्पादन दोनों को प्रभावित करती है। डीजल पंपों

के कारण किसान को बार–बार ईंधन खरीदना पड़ता है, जबकि सौर पंप सूर्य के प्रकाश से विद्युत प्राप्त करके पानी खींचते हैं। इससे कृषि कार्यों में ऊर्जा की लागत को कम करने की संभावना बनती है।

इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम–कुसुम) शुरू किया। योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डीजल की निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना है। इसके अंतर्गत स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना, पहले से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण तथा किसानों की भूमि पर विकेंद्रीकृत ग्रिड–कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।

30 जून 2026 तक पीएम–कुसुम के अंतर्गत 11,05,310 स्वतंत्र सौर पंप स्थापित किए जा चुके थे। इसी अवधि में घटक–क के अंतर्गत 1,726.92 मेगावाट क्षमता स्थापित हुई थी। ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। ये आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि सौर ऊर्जा अब केवल बड़े शहरों या औद्योगिक परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी उसका वास्तविक विस्तार हो रहा है।

किसान केवल ऊर्जा उपभोक्ता नहीं, उत्पादक भी

अक्षय ऊर्जा की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि यह किसान को केवल ऊर्जा का उपभोक्ता न रखकर ऊर्जा उत्पादक बनने का अवसर भी दे सकती है। पीएम–कुसुम के घटक–क के अंतर्गत किसान, किसानों के समूह, सहकारी समितियाँ, पंचायतें तथा किसान उत्पादक संगठन 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के विकेंद्रीकृत सौर विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। उत्पादित बिजली को निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय वितरण कंपनी को बेचा जा सकता है।

इस व्यवस्था की कल्पना यदि व्यापक स्तर पर की जाए तो गाँव केवल बिजली लेने वाली इकाई नहीं रहेगा, बल्कि बिजली पैदा करने वाला स्थानीय केंद्र बन सकता है। अनुपयोगी या कम उत्पादक भूमि के कुछ हिस्सों का उपयोग सौर परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। इससे किसान को कृषि आय के अतिरिक्त ऊर्जा–आधारित आय का स्रोत प्राप्त होने की संभावना बनती है। हालांकि इसके लिए भूमि की उपयुक्तता, स्थानीय विद्युत ग्रिड, वित्तीय व्यवस्था और स्पष्ट सरकारी नियम आवश्यक हैं।

सौर ऊर्जा और कृषि का संतुलित उपयोग

भारत में कृषि भूमि सीमित है और उस पर खाद्य उत्पादन प्राथमिक आवश्यकता है। इसलिए अक्षय ऊर्जा का विस्तार कृषि भूमि के अंधाधुंध उपयोग के बजाय वैज्ञानिक और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। सौर पैनलों को खेतों के ऊपर या खेत की सीमाओं के उपयुक्त हिस्सों में इस प्रकार स्थापित करने की अवधारणा पर भी काम हो रहा है कि कृषि और ऊर्जा उत्पादन को एक साथ आगे बढ़ाया जा सके। इसे सामान्यतः कृषि–सौर सह–अस्तित्व या एग्रीवोल्टिक्स की दिशा में देखा जाता है।

हालाँकि ऐसी परियोजनाओं में फसल, मिट्टी, जल, सूर्यप्रकाश और स्थानीय जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। हर खेत में एक ही मॉडल लागू करना उचित नहीं होगा। जहाँ कृषि उत्पादन प्रभावित होने की आशंका हो, वहाँ सौर परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक भूमि या अन्य उपयुक्त संरचनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जैव ऊर्जाः किसान की कृषि–अवशेषों से ऊर्जा

अक्षय ऊर्जा का ग्रामीण स्वरूप केवल सौर ऊर्जा तक सीमित नहीं है। भारत के गाँवों में पशुधन और कृषि–अवशेषों की उपलब्धता जैव ऊर्जा की व्यापक संभावनाएँ पैदा करती है। गोबर, कृषि अवशेष और अन्य जैविक पदार्थों से बायोगैस तथा जैव–ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। इससे एक ओर अपशिष्ट का उपयोगी प्रबंधन होता है, दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर ऊर्जा प्राप्त होती है।

बायोगैस संयंत्र ग्रामीण परिवारों और सामुदायिक संस्थाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। बायोगैस से प्राप्त गैस का उपयोग खाना पकाने जैसे कार्यों में किया जा सकता है और संयंत्र से निकलने वाला जैविक अवशेष कृषि में जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार जैव ऊर्जा एक ऐसी परिपत्र अर्थव्यवस्था का आधार बन सकती है जिसमें कृषि से निकलने वाला अपशिष्ट फिर कृषि के लिए उपयोगी संसाधन में बदलता है।

अक्षय ऊर्जा से रोजगार की संभावनाएँ

अक्षय ऊर्जा का ग्रामीण विस्तार रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकता है। सौर पैनल लगाने, उनकी सफाई और रखरखाव, सौर पंपों की मरम्मत, विद्युत उपकरणों की देखभाल तथा बायोगैस संयंत्रों के संचालन के लिए स्थानीय तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है। यदि गाँव के युवाओं को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाए तो उन्हें अपने ही क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल सकते हैं।

यहाँ कौशल विकास का महत्त्व बढ़ जाता है। केवल सौर उपकरण गाँव तक पहुँचा देना पर्याप्त नहीं है। उनके रखरखाव के लिए प्रशिक्षित स्थानीय व्यक्ति, समय पर स्पेयर पार्ट्स और

तकनीकी सहायता की व्यवस्था भी आवश्यक है। अन्यथा छोटी–सी तकनीकी खराबी के कारण महँगी मशीन लंबे समय तक बंद रह सकती है।

पर्यावरणीय लाभ

अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा व्यापक लाभ पर्यावरणीय है। कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से जुड़ी है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोत बिजली उत्पादन के दौरान जीवाश्म ईंधनों की तरह प्रत्यक्ष दहन पर निर्भर नहीं होते। कृषि क्षेत्र में डीजल पंपों के स्थान पर सौर पंपों का प्रयोग जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने में योगदान दे सकता है।

भारत की ऊर्जा–नीति में भी अक्षय ऊर्जा का महत्त्व लगातार बढ़ा है। मार्च 2026 तक भारत की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 274.68 गीगावाट थी, जिसमें 150.26 गीगावाट सौर ऊर्जा शामिल थी। 2025–26 में गैर–जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में 55.29 गीगावाट की वृद्धि दर्ज की गई, जो अब तक किसी एक वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि थी।

चुनौतियाँ भी कम नहीं

अक्षय ऊर्जा की संभावनाओं के साथ अनेक चुनौतियाँ भी हैं। पहली चुनौती प्रारंभिक लागत है। सौर पंप या सौर विद्युत संयंत्र लगाने में शुरुआत में पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होती है। सरकारी सहायता और वित्तीय संस्थानों की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद सभी किसानों के लिए प्रक्रिया समान रूप से सरल नहीं होती।

दूसरी चुनौती तकनीकी रखरखाव की है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित तकनीशियनों और सेवा केंद्रों की कमी होने पर उपकरणों की मरम्मत कठिन हो सकती है। तीसरी चुनौती बिजली के स्थानीय ग्रिड से जुड़ी है। यदि किसान सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजना चाहता है, तो स्थानीय वितरण व्यवस्था पर्याप्त सक्षम होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त सौर पंपों की उपलब्धता से भूजल के अत्यधिक दोहन का जोखिम भी पैदा हो सकता है। यदि बिजली की लागत लगभग शून्य हो जाए लेकिन पानी के उपयोग पर पर्याप्त नियंत्रण न हो, तो किसान अधिक मात्रा में भूजल निकाल सकता है। इसलिए सौर सिंचाई को जल–संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई, वर्षाजल संचयन और भूजल प्रबंधन से जोड़ना आवश्यक है। अक्षय ऊर्जा तभी वास्तव में टिकाऊ होगी जब ऊर्जा–सुरक्षा के साथ जल–सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए।

आगे की राह

गाँवों में अक्षय ऊर्जा का विस्तार केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं होगा। इसके लिए किसान, पंचायत, सहकारी संस्थाएँ, स्वयं सहायता समूह, विद्युत वितरण कंपनियाँ, वित्तीय संस्थाएँ और स्थानीय प्रशासन, सभी की भागीदारी आवश्यक है। योजनाओं की जानकारी किसानों तक सरल भाषा में पहुँचनी चाहिए। आवेदन, सब्सिडी और तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया भी पारदर्शी और सहज होनी चाहिए।

सौर पंपों को माइक्रो–इरिगेशन के साथ जोड़ना, कृषि–अवशेषों से जैव ऊर्जा विकसित करना, ग्रामीण शीतगृहों को सौर ऊर्जा से जोड़ना और पंचायत स्तर पर सामुदायिक सौर परियोजनाएँ विकसित करना भविष्य की उपयोगी दिशाएँ हो सकती हैं। इसी प्रकार विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत भवनों में सौर ऊर्जा का उपयोग ग्रामीण समुदाय के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।

भारत में अक्षय ऊर्जा का विस्तार तेज गति से हो रहा है। 30 जून 2026 तक देश में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 162.15 गीगावाट हो चुकी थी और कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 288.58 गीगावाट तक पहुँच गई थी। अब चुनौती केवल क्षमता बढ़ाने की नहीं, बल्कि इस ऊर्जा को गाँवों और किसानों के आर्थिक जीवन से अधिक गहराई से जोड़ने की है।

निष्कर्ष

अक्षय ऊर्जा गाँव के लिए केवल बिजली का वैकल्पिक स्रोत नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की नई संरचना का आधार बन सकती है। सौर पंप किसान की सिंचाई लागत को प्रभावित कर सकते हैं, सौर संयंत्र किसान को ऊर्जा उत्पादक बना सकते हैं, बायोगैस कृषि–अवशेषों को संसाधन में बदल सकती है और अक्षय ऊर्जा आधारित ग्रामीण उद्योग रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं।

परंतु इसका वास्तविक लाभ तभी प्राप्त होगा जब तकनीक के साथ सामाजिक और आर्थिक नियोजन भी हो। किसान की भूमि, पानी, आय, स्थानीय जलवायु और ऊर्जा की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखकर योजनाएँ बनाई जानी चाहिए। अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य केवल अधिक से अधिक सौर पैनल लगाना नहीं, बल्कि ऐसा ग्रामीण ऊर्जा तंत्र विकसित करना होना चाहिए जिसमें किसान की लागत घटे, आय के नए स्रोत बनें, गाँव आत्मनिर्भर हो और पर्यावरण पर दबाव कम हो।

इस दृष्टि से अक्षय ऊर्जा भारत के गाँवों के लिए भविष्य की कोई दूरस्थ कल्पना नहीं, बल्कि वर्तमान में आकार लेती हुई विकास–व्यवस्था है। यदि इसे किसान–केंद्रित, विकेंद्रीकृत और टिकाऊ नीति के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो आने वाले समय में भारतीय गाँव केवल अन्न के उत्पादक नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादक भी बन सकते हैं।❑❑

(लेखक आकाशवाणी में वरिष्ठ अधिकारी हैं)

मक्का संयुक्त रक्षा समझौता

सिर्फ कागजी प्रयास या बदलेगा पश्चिम एशिया

मक्का में सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच हुआ संयुक्त रक्षा समझौता सिर्फ तीन देशों की सैन्य साझेदारी नहीं है। यह उस पश्चिम एशिया की बदलती तस्वीर का संकेत है, जहां पुराने सुरक्षा समीकरण तेजी से टूट रहे हैं और नए शक्ति–केंद्र आकार ले रहे हैं। समझौते की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही है कि तीनों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला बाकी दोनों पर हमला माना जाएगा। कागज पर यह व्यवस्था बेहद मजबूत दिखती है, लेकिन असली सवाल यह है कि युद्ध की घड़ी आने पर क्या रियाद, अंकारा और इस्लामाबाद एक–दूसरे के लिए अपने सैनिक और अपनी अर्थव्यवस्था जोखिम में डालेंगे? इसी सवाल में इस समझौते की असली कहानी छिपी है। इसे तुरंत 'इस्लामिक नाटो' कहना जल्दबाजी होगी। नाटो की ताकत केवल इस बात में नहीं है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है, बल्कि उसके पीछे दशकों से विकसित संयुक्त कमान, सैन्य योजना, खुफिया ढांचा, अंतर–संचालन और साझा रक्षा प्रतिबद्धताएं हैं। मक्का समझौते में फिलहाल ऐसी संस्थागत गहराई दिखाई नहीं देती। इसलिए इसे नाटो की प्रतिकृति कहने के बजाय तीन देशों के बीच सामरिक प्रतिरोध बढ़ाने की कोशिश कहना ज्यादा सही होगा। फिर भी इसे हल्का समझना भी बड़ी भूल होगी। तीनों देशों की ताकतें अलग–अलग हैं और यही इस गठबंधन की सबसे बड़ी उपयोगिता है। तुर्किए के पास तेजी से विकसित होता रक्षा उद्योग, ड्रोन तकनीक और बड़ा सैन्य ढांचा है। सऊदी अरब के पास विशाल वित्तीय संसाधन और ऊर्जा संपदा है। पाकिस्तान के पास दशकों का सैन्य अनुभव, बड़ी स्थायी सेना और परमाणु क्षमता है। 2025 में तुर्किए का सैन्य खर्च करीब 30 अरब डॉलर, पाकिस्तान का 11.9 अरब डॉलर और सऊदी अरब का 83.2 अरब डॉलर रहा। उसी साल भारत का सैन्य खर्च 92.1 अरब डॉलर था। यानी तीनों देशों की सैन्य क्षमताएं जोड़ने पर तस्वीर गंभीर जरूर बनती है, लेकिन इसे एकीकृत सैन्य शक्ति समझ लेना अभी गलत होगा।

ईरान की प्रतिक्रिया इस समझौते का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग से जुड़े इब्राहिम रजाई ने इसे सऊदी सुरक्षा की गारंटी न देने वाला 'कागजी समझौता' बताया है।

– अजय कुमार

सबसे दिलचस्प पक्ष सऊदी अरब है। रियाद वर्षों तक अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा है। लेकिन पश्चिम एशिया के लगातार बदलते समीकरणों ने सऊदी नेतृत्व को यह समझा दिया है कि केवल अमेरिकी सुरक्षा छतरी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। ईरान के साथ तनाव, यमन में हूती खतरा, लाल सागर की अस्थिरता और तेल प्रतिष्ठानों पर संभावित हमले ने सऊदी सुरक्षा सोच को बदल दिया है। इसलिए पाकिस्तान और तुर्किए के साथ सुरक्षा सहयोग रियाद के लिए वैकल्पिक सुरक्षा परत तैयार करने का प्रयास भी है। लेकिन यहीं पहला विरोधाभास सामने आता है। सऊदी अरब का सबसे बड़ा हित युद्ध जीतना नहीं, स्थिरता बनाए रखना है। उसका पूरा आर्थिक परिवर्तन कार्यक्रम तेल से आगे निकलकर पर्यटन, निवेश, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर टिका है। लंबी क्षेत्रीय जंग उसके इस एजेंडे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अगर कभी पाकिस्तान या तुर्किए ऐसा संघर्ष शुरू करते हैं जिसमें सऊदी हित सीधे शामिल नहीं हैं, तो क्या रियाद वास्तव में सैन्य हस्तक्षेप करेगा? समझौते की सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी। तुर्किए का मामला और जटिल है। अंकारा की विदेश नीति किसी एक खेमे में पूरी तरह बंधी हुई नहीं रही है। वह नाटो का सदस्य है, लेकिन रूस के साथ भी उसके रिश्ते हैं। सीरिया, लीबिया, कॉकस और पूर्वी भूमध्यसागर में

उसके अपने रणनीतिक हित हैं। तुर्किए सऊदी अरब के साथ संबंध सुधार चुका है, लेकिन दोनों देशों की क्षेत्रीय प्राथमिकताएं हमेशा एक जैसी नहीं रहीं।

रणनीतिक महत्व के चलते इस्लामाबाद लंबे समय से सऊदी अरब के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करता रहा है और तुर्किए के साथ भी सैन्य सहयोग बढ़ा है। लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा प्राथमिकता पश्चिम एशिया नहीं, भारत और अफगानिस्तान से जुड़े खतरे हैं। उसकी अर्थव्यवस्था भी लंबे समय से दबाव में है। इसलिए पाकिस्तान को इस गठबंधन से राजनीतिक और सामरिक समर्थन मिल सकता है, लेकिन वह एक साथ कई मोर्चों पर बड़ी सैन्य प्रतिबद्धता निभा पाएगा या नहीं, यह बड़ा प्रश्न है। सबसे संवेदनशील मुद्दा पाकिस्तान की परमाणु क्षमता है। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र मुस्लिम–बहुल परमाणु हथियार संपन्न देश है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी परमाणु क्षमता किसी सहयोगी के लिए सुरक्षा छतरी बन जाएगी। ईरान की प्रतिक्रिया इस समझौते का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग से जुड़े इब्राहिम रजाई ने इसे सऊदी सुरक्षा की गारंटी न देने वाला 'कागजी समझौता' बताया है। यह बयान बताता है कि तेहरान इस समझौते को केवल कूटनीतिक समारोह नहीं मान रहा। ईरान के लिए चिंता यह है कि उसके सामने अब अलग–अलग देशों की बजाय संभावित रूप से समन्वित सुरक्षा व्यवस्था खड़ी हो रही है।

हालांकि सऊदी अरब और तुर्किए दोनों ने यह संकेत दिया है कि समझौता किसी देश या सांप्रदायिक सैन्य धुरी के खिलाफ नहीं है। इसका घोषित उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाना है। यही बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यह समझौता खुले तौर पर ईरान विरोधी गठबंधन बन जाता है तो पश्चिम एशिया में ध्रुवीकरण और तेज हो सकता है। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंता पाकिस्तान नहीं, बल्कि ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। 2025 की पहली छमाही में यहां से औसतन 2.09 करोड़ बैरल प्रतिदिन तेल और पेट्रोलियम तरल पदार्थ गुजरे, जो वैश्विक पेट्रोलियम तरल खपत के लगभग 20 प्रतिशत के बराबर था। होर्मुज से गुजरने वाले कच्चे तेल और कंडेन्सेट का करीब 89 प्रतिशत एशियाई बाजारों की ओर जाता है और चीन, भारत, जापान तथा दक्षिण कोरिया मिलकर इसका लगभग 74 प्रतिशत हिस्सा लेते हैं। भारत की चिंता इसलिए केवल पाकिस्तान–तुर्किए–सऊदी सैन्य समीकरण तक सीमित नहीं रह सकती। समुद्री बीमा महंगा हुआ, जहाजों ने रास्ता बदला और तेल की आपूर्ति बाधित हुई तो उसका असर पेट्रोल–डीजल से लेकर विमान ईंधन, परिवहन, खाद और उद्योग तक पहुंच सकता है।

भारत–सऊदी आर्थिक रिश्ता भी इतना बड़ा है कि नई स्थिति को केवल सुरक्षा के चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। 2023–24 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 43.37 अरब डॉलर था और सऊदी अरब भारत के लिए कच्चे तेल के प्रमुख स्रोतों में रहा। भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग भी लगातार बढ़ा है। यही कारण है कि भारत ने मक्का समझौते पर जल्दबाजी में कोई कठोर प्रतिक्रिया देने के बजाय घटनाक्रम पर करीबी नजर रखने का रुख अपनाया है। नई दिल्ली के लिए सऊदी अरब केवल पाकिस्तान का सहयोगी नहीं है; वह ऊर्जा, निवेश, प्रवासी भारतीयों और पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार है। इसलिए भारत को पाकिस्तान–केंद्रित प्रतिक्रिया से बचकर पूरे पश्चिम एशियाई समीकरण को देखना होगा। इस समझौते की सबसे बड़ी कमजोरी भी यहीं है। तीनों देशों के हित हर मुद्दे पर एक जैसे नहीं हैं। सऊदी अरब ईरान के साथ तनाव कम करने के रास्ते भी खुले रखना चाहता है। तुर्किए अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय भूमिका बनाए रखना चाहता है। पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान पर केंद्रित है। ऐसे में 'एक पर हमला, सभी पर हमला' की घोषणा राजनीतिक संदेश तो दे सकती है, लेकिन हर युद्ध में समान सैन्य प्रतिक्रिया सुनिश्चित नहीं करती।

इतिहास बताता है कि गठबंधन घोषणाओं से नहीं, संकट की घड़ी में लिए गए फैसलों से मजबूत होते हैं। अगर आने वाले वर्षों में तीनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया साझेदारी, रक्षा उत्पादन, मिसाइल रक्षा, समुद्री सुरक्षा और साझा कमान जैसी व्यवस्थाएं विकसित करते हैं तो मक्का समझौता सचमुच एक नई सुरक्षा संरचना की नींव बन सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह भी उन अनेक समझौतों की सूची में शामिल हो जाएगा, जिनकी भाषा बड़ी थी लेकिन युद्ध की वास्तविकता के सामने उनकी ताकत सीमित साबित हुई। इसलिए मक्का की डील को न तो 'इस्लामिक नाटो' का जन्म मानना चाहिए और न ही इसे महज कागज का टुकड़ा समझना चाहिए। असली कहानी अभी शुरू हुई है। पश्चिम एशिया में शक्ति का संतुलन बदल रहा है, ईरान दबाव में है, सऊदी अपनी सुरक्षा नीति को फिर से गढ़ रहा है, तुर्किए अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और पाकिस्तान नए सामरिक सहारे तलाश रहा है। भारत के लिए संदेश साफ है पश्चिम एशिया में अब केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने की नीति पर्याप्त नहीं होगी। ऊर्जा, समुद्री मार्ग, खाड़ी की राजनीति और पाकिस्तान–तुर्किए की सैन्य साझेदारी को एक ही रणनीतिक फ्रेम में देखना होगा। ❑❑

आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनाएं स्वदेशी : तोखन साहू

स्वदेशी जागरण मंच, बिलासपुर एवं स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त तत्वावधान में *'मैं भी स्वदेशी समर्थक'* डिजिटल अभियान–2026 का शुभारंभ सरस्वती शिशु मंदिर, तिलकनगर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि स्वदेशी अपनाना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है। प्रत्येक नागरिक स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले को एक लाख डिजिटल पंजीयन का लक्ष्य दिया गया है और इस लक्ष्य की पूर्ति केवल स्वदेशी जागरण मंच की ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।

विशिष्ट अतिथि बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि स्वदेशी केवल आर्थिक विचार नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति का व्यवहारिक स्वरूप है। उन्होंने युवाओं से डिजिटल माध्यमों के जरिए इस अभियान को जन–जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महापौर पूजा विधानी, संघ के विभाग संघचालक डा. राजकुमार सचदेव, प्रवीण झा, डा. प्रफुल्ल शर्मा, गोपाल शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मंच के संभाग संयोजक भृगु अवस्थी ने किया तथा आभार प्रदर्शन जिला संयोजक नारायण गिरी गोस्वामी ने किया।

डा. ललित माखीजा, भागचंद बजाज, हीरा जयसिंह, प्रदीप शर्मा, दिलीप शर्मा, मोहित जायसवाल, अरुणा दीक्षित, डा. देवेंद्र कौशिक, डा. नीता श्रीवास्तव, यश मनहर, सौमित्र गुप्ता, लता गुप्ता सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति, व्यापारी, शिक्षाविद् युवा उपस्थित रहे।

'मैं भी स्वदेशी समर्थक' अभियान का झांसी से शुभारम्भ

स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलम्बी भारत अभियान के संयुक्त तत्वावधान में कानपुर प्रान्त स्तर पर 'मैं भी स्वदेशी समर्थक' जन जागरण अभियान का शुभारम्भ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के वृंदावनलाल वर्मा सभागार में हुआ। एक अगस्त से 20 अगस्त तक चले इस अभियान के माध्यम से पूरे कानपुर प्रान्त में स्वदेशी के प्रति जन–जागरण, स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा तथा स्वावलम्बी भारत के निर्माण के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कानपुर प्रान्त के विभाग प्रचारक श्री मनोज ने की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी भारत की सांस्कृतिक चेतना, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का आधार है। यदि प्रत्येक नागरिक अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का संकल्प ले, तो स्थानीय उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा भारत आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनेगा। उन्होंने अभियान को जन–आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए समाज के सभी वर्गों से इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच की केंद्रीय प्रचार टोली के सदस्य डॉ. विजय सिंह ने कहा कि विकसित भारत का मार्ग स्वदेशी चिंतन से होकर गुजरता है। स्वदेशी का अर्थ केवल भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना नहीं, बल्कि देश की प्रतिभा, तकनीक, उद्यमिता और संसाधनों पर विश्वास करना भी है। उन्होंने युवाओं से स्वदेशी के प्रचार–प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया।

प्रांत संयोजक श्री सुदीप खरे ने बताया कि 1 से 20 अगस्त तक चलने वाले अभियान के दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों, बाजारों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा सामाजिक संगठनों के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत नागरिकों को स्वदेशी अपनाने एवं 'मैं भी स्वदेशीः समर्थक' बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

कार्यक्रम के अंत में प्रांत समन्वयक डॉ. प्रवीण अग्निहोत्री ने कहा कि स्वदेशी केवल आर्थिक अवधारणा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में छोटे–छोटे बदलाव कर देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उन्होंने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का संचालन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पं. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के निदेशक प्रो. मुन्ना तिवारी ने किया। उन्होंने बताया कि शोधपीठ द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा, एकात्म मानव दर्शन, स्वदेशी चिंतन और आत्मनिर्भर भारत के विचार को समाज एवं युवाओं तक पहुंचाने के लिए निरंतर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शोधपीठ समय–समय पर संगोष्ठियों, व्याख्यानमालाओं, छात्र संवाद, शोध परिचर्चाओं एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से स्वदेशी विचार को जन–जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है।

कार्यक्रम में केशव वाजपेई, प्रांत सह संयोजक, लाल सिंह, प्रांत प्रचार प्रमुख, राकेश कुशवाहा, जिला संयोजक, कोमल तिवारी, जिला समन्वयक, डॉ राघवेंद्र द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में शिक्षाविदों, प्रबुद्ध नागरिकों, विद्यार्थियों, उद्यमियों एवं स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

स्वदेशी जागरण मंच का विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान

स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संयुक्त संपर्क प्रमुख विकास चौधरी ने कहा कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी के इस्तेमाल से ही देश समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस मुहिम को घर–घर पहुंचाने के लिए जिले में दो लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। मंच के क्षेत्रीय संयुक्त संपर्क प्रमुख विकास चौधरी ने धनौरा मार्ग स्थित एक होटल में प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि देश को समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आमजन को यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने घर, परिवार, व्यापार में स्थानीय और स्वदेशी वस्तुओं को ही प्राथमिकता देंगे। मैं भी स्वदेशी उत्पाद का समर्थक हूँ, इस मुहिम की अलख जगाएंगे। प्रांत सह संयोजक सुधांशु विश्नोई ने भारत–अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का विरोध किया। कहा कि इससे किसानों को नुकसान होगा। मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश प्रधान, पूर्व जिला संयोजक स्वदेशी जागरण मंच आशीष गुप्ता, राजेश आर्य व डॉ. उत्तम सिंह प्रजापति आदि रहे।

'मैं भी स्वदेशी समर्थक' अभियान को सफल बनाने का आह्वान

स्वदेशी जागरण मंच जिला टॉक की बैठक एमजीजीएस गुलजार बाग में प्रांत संयोजक सुरेन्द्र नामा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। बैठक में एक अगस्त से 20 अगस्त तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी डिजिटल जन जागरूकता अभियान 'मैं भी स्वदेशी... समर्थक' को सफल बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांत संयोजक सुरेन्द्र नामा ने कहा कि 'मैं भी स्वदेशी... समर्थक' अभियान का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को स्वदेशी आंदोलन से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनाना है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान नागरिकों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर 'मैं भी स्वदेशी... समर्थक' फ्रेम लगाकर भारतीय उत्पादों, सेवाओं, उद्यमियों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, कारीगरों तथा स्वदेशी नवाचार के समर्थन का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि यह केवल डिजिटल अभियान नहीं, बल्कि जन–जन में 'स्व का भाव' जागृत करने वाला राष्ट्रीय जन आंदोलन है। प्रत्येक नागरिक यदि अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देता है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को नई गति मिलेगी। जिला संयोजक देवेन्द्र खंडेलवाल ने कहा कि यह अभियान स्वदेशी उत्पादों एवं सेवाओं को अपनाने, भारतीय उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, स्थानीय व्यवसायों और कारीगरों के समर्थन का सशक्त प्रतीक है।

साथ ही यह स्वदेशी नवाचार, कौशल, हस्तशिल्प, विनिर्माण एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ राष्ट्रीय एकता, आर्थिक समृद्धि और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगा। बैठक में अभियान को जिलेभर में व्यापक स्तर पर सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। इस अवसर पर चन्द्र प्रकाश कुर्मी, अनिल पाटीदार, अशोक कुमार जैन, ताराचंद जैन, पुरुषोत्तम दीक्षित, दीपक अग्रवाल, सुनील राजवंशी, रेखा जैन, उत्तम पंचोली, ओमप्रकाश खंडेलवाल, मुरली मनोहर गौतम सहित बड़ी संख्या में दायित्ववान कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

स्वदेशी से स्वावलंबी भारत का संकल्प

स्वदेशी जागरण मंच के जोधपुर प्रांत विचार वर्ग का दो दिवसीय आयोजन विभिन्न वैचारिक सत्रों के साथ संपन्न हो गया। समापन सत्र में वक्ताओं ने स्वदेशी जीवनशैली अपनाने, आर्थिक आत्मनिर्भरता और भारतीय उत्पादों के अधिकतम उपयोग का आह्वान किया। साथ ही बीकानेर में जल्द ही स्वदेशी स्टोर शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया।

अंतिम सत्र में हरियाणा प्रांत के संगठक कुलदीप जी ने कहा कि मानसिकता परिवर्तन और प्रभावी प्रचार–प्रसार के माध्यम से स्वदेशी अभियान को जन–जन तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मंच आगामी महीनों में 'मैं भी स्वदेशी समर्थक अभियान', एक से 20 अगस्त तक उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान, 21 अगस्त से 20 अक्टूबर तक जनजागरण कार्यक्रम, 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वदेशी सप्ताह तथा अक्टूबर में स्वदेशी मेले का आयोजन करेगा।

डॉ. कृष्ण अवतार गोयल ने 'युवा जनसंख्या भारत के विकास का आधार' विषय पर विचार रखते हुए युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बताया।

समापन सत्र के मुख्य अतिथि रामाचार्य जी महाराज (जैसला मठ, मुकाम) ने स्व की शक्ति का महत्व बताते हुए स्वदेश के लिए जीने और स्वावलंबी भारत बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि भारत को पुनः 'सोने की चिड़िया' बनाने के लिए स्वदेशी आंदोलन को जन–आंदोलन बनाएं।

राष्ट्रीय सहसंयोजक अजय जी 'युगानुकूल स्वदेशी' विषय पर कहा कि व्यक्ति 'आदत से देसी और मजबूरी से

विदेशी' होना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी जीवनशैली को अपनाने पर जोर दिया। महानगर संयोजक आदित्य बिश्नोई ने कहा कि दो दिवसीय विचार वर्ग नई ऊर्जा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ है तथा सभी कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी विचार को समाज तक पहुंचाने और देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का संकल्प लिया।

युवाओं से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आह्वान

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट हनुमानगढ़ टाउन में 'मैं हूं स्वदेशी समर्थक' अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार की अध्यक्षता हुई। स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत सह व्यवस्था प्रमुख मोहन चंगोई ने युवाओं में राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से अभियान का शुभारंभ किया। चंगोई ने विद्यार्थियों से अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से देश आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनेगा। स्वावलंबी भारत अभियान के समन्वयक मेजर सिंह ने विद्यार्थियों से विदेशी कंपनियों के उत्पादों का त्यागकर स्वदेशी सामान खरीदने का निवेदन किया। इस अवसर पर 'मैं हूं स्वदेशी समर्थक' पत्रक का विमोचन किया गया। युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन कर अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम में स्टाफ ने अभियान को प्रशंसनीय बताते हुए अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने और स्वदेशी को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया।

स्वजामं ने कहा पेप्सी–कोक और अमेरिकी ऐप्स का हो बहिष्कार

अमेरिका की ओर से रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने संबंधी विधेयक पेश किए जाने के बाद देश में इसका कड़ा विरोध शुरू हो गया है। स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने अमेरिकी सीनेट के इस कदम को एकतरफा आर्थिक दबाव और रणनीतिक ब्लैकमेलिंग करार दिया है।

मंच ने स्पष्ट किया है कि कोई भी देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा और संप्रभु व्यापार नीति तय नहीं कर सकता। एसजेएम ने देशवासियों से पेप्सी, कोका–कोला, अमेरिकी सोशल मीडिया और ई–कामर्स प्लेटफार्म का पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया है। मंच ने विपक्ष के आरोपों पर सहमति देते हुए कहा है कि भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन के माध्यम से यूपीआई एवं इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट की अनुमति से वीजा और मास्टरकार्ड जैसी विदेशी कंपनियों को फिर से भारतीय बाजार में बढ़त मिल सकती है।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। देश की विशाल ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल आयात के स्रोतों का विविधीकरण राष्ट्रीय हित का अभिन्न अंग है।

रूसी कच्चे तेल से भारतीय उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिली है और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतें नियंत्रित रही हैं। अमेरिकी सीनेट का यह कदम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों के खिलाफ है और इसके कारण स्वयं अमेरिकी नागरिकों को भी महंगी ऊर्जा का सामना करना पड़ेगा।

एसजेएम का मानना है कि अमेरिका इस प्रस्तावित कानून का इस्तेमाल भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत में दबाव बनाने के लिए कर रहा है। संगठन ने सरकार से कहा है कि दो संप्रभु देशों के बीच व्यापार वार्ता बराबरी, पारस्परिकता और पारस्परिक सम्मान के आधार पर होनी चाहिए, न कि दंडात्मक शुल्क की धमकियों के साए में। मंच ने जोर देकर कहा कि कृषि और डेयरी क्षेत्र की तरह ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी भारत को अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करना चाहिए।

मंच ने केंद्र सरकार के दो हालिया निर्णयों पर अपनी असहमति और निराशा जताई है...

ई–कामर्स एफडीआई (प्रेस नोट 3, 2026): एक्सपोर्ट के लिए इन्वेंट्री सीमाओं में दी गई ढील से अमेजन और वालमार्ट–फ्लिपकार्ट जैसी अमेरिकी दिग्गजों को अनुचित लाभ मिलेगा, जो भारतीय निर्यातकों व छोटे व्यापारियों के हित में नहीं है।

भुगतान प्रणाली में एमडीआर (एमडीआर): भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन के माध्यम से यूपीआई या इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट की अनुमति से वीजा और मास्टरकार्ड जैसी विदेशी कंपनियों को फिर से भारतीय बाजार में बढ़त मिल सकती है।

अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा सामाजिक अशांति फैलाने के अनैतिक प्रयासों का हवाला देते हुए एसजेएम ने केंद्र सरकार से ऐसी तकनीकी कंपनियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके साथ ही देशभक्त नागरिकों से अपील की गई है कि वे अमेरिकी ई–कॉमर्स, टेक व पेय पदार्थों का बहिष्कार कर स्वदेशी का संकल्प लें। ❑❑

स्वदेशी गतिविधियां

'मैं भी स्वदेशी समर्थक' अभियान

(1-20 अगस्त 2026)

सचित्र झलक

श्री अनुराग ठाकुर (सांसद)

श्री अर्जुन सिंह (श्रम व परिवहन मंत्री, पं.बगाल)

जन कल्याण संस्थान, जयपुर

सहारनपुर

सुल्तानपुर

हरदा, म.प्र.

विचार वर्ग

आंध्र प्रदेश

तेलंगाना

जोधपुर

उत्तर बंग

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 जुलाई 2026
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2024-26
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

'मैं भी स्वदेशी समर्थक' अभियान

(1-20 अगस्त 2026)

सचित्र झलक

श्री आर. सुन्दरम (राष्ट्रीय संयोजक, स्व.जा.मं.)

बिलासपुर

मदन दिलावर

श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य (राज्यपाल, असम)

डॉ. उमेश चक्रवर्ती (क्षेत्र संघचालक, पूर्वोत्तर)

जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज (ज्योतिष पीठाधीश्वर)

श्री सुबीर नाग (विधायक, चुनचुरा, प.बंगाल)

श्री श्रीधर वेंबू (संस्थापक, जोहो)

बांसवाड़ा

बीकानेर

मुरादाबाद

त्रिपुरा

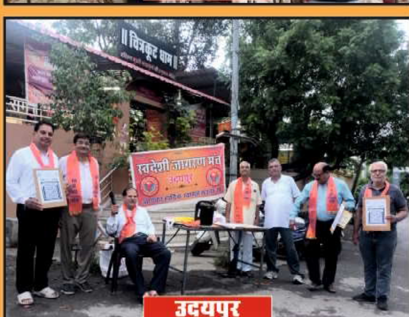

उदयपुर

कोलकाता

बृज प्रांत

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती